

दिल्ली उच्च न्यायालय, नई दिल्ली

समक्ष

माननीय न्यायमूर्ति श्री पुरुषेंद्र कुमार कौरव

रि.या.(सि) 2502/2023 और सि.वि.आ. 9574/2023, 4838/2023

मध्य:-

कमलजीत सहरावत
पत्नी श्री राज कुमार सेहरावत
निवासी प्लॉट संख्या 28-29 नंदा एन्क्लेव,
अंबरहाई सेक्टर 19 द्वारका नई दिल्ली-110075

....याचिकाकर्ता

(द्वारा:- श्री महेश जेठमलानी, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री पवन नारंग,
श्री शौमेंदु मुखर्जी, श्री रवि शर्मा, श्री मुग्धा पांडे, सुश्री विधि गुप्ता, श्री
सत्य रंजन स्वैन और सुश्री मेघा शर्मा, अधिवक्तागण)

और

दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यालय,
प्रधान सचिव के माध्यम से,
ब्लॉक-6, राज निवास, सिविल लाइन्स,
नई दिल्ली-110054

....प्रत्यर्थी सं.1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र
सचिवालय के माध्यम से,

दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय,
आईपी एस्टेट, नई दिल्ली

....प्रत्यर्थी सं.2

दिल्ली नगर निगम
आयुक्त के माध्यम से,
24वीं मंजिल, डॉ. एसपीएम सिविक सेंटर,
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

....प्रत्यर्थी सं.3

महापौर/निर्वाचन अधिकारी,
नगर सचिव के माध्यम से
दिल्ली नगर निगम
डॉ. मुखर्जी सिविक सेंटर
मिंटो रोड, नई दिल्ली-110002

....प्रत्यर्थी सं.4

(द्वारा - श्री उदित मलिक, अति.स्था.अधि., रा.रा.क्षे.दि.स. के साथ श्री विशाल चंदा, अधिवक्ता, श्री अजय दिगपाल, स्थायी अधिवक्ता के साथ श्री कमल दिगपाल और सुश्री स्वाति क्वात्रा, प्रत्य-3 के अधिवक्तागण श्री राहुल मेहरा, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मोहित सिवाच, श्री चैतन्य गोसाई, श्री प्रियंकर तिवारी और श्री आनंद थुम्बायिल, प्रत्य-4 के अधिवक्तागण)

रि.या.(सि) 2503/2023 और सि.वि.आ. 9576/2023

मध्य:

शिखा रॉय

पत्नी श्री संजीव कुमार पब्बी
निवासी - बी-13, जीएफ, ग्रेटर कैलाश एनक्लेव-2,
जीके-2, नई दिल्ली-48
काउंसलर ग्रेटर कैलाश वार्ड सं. 173

....याचिकाकर्ता

(द्वारा -श्री जयंत मेहता, श्री अमित तिवारी के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री नीरज, श्री बांसुरी स्वराज, श्री योगेश वर्मा, श्री चैतन्य पुरी, श्री वेदांश आनंद, सुश्री अनु श्रीवास्तव और श्री हिमांशु सेठ, अधिवक्तागण)

और

दिल्ली के उपराज्यपाल का कार्यालय,
मुख्य सचिव के माध्यम से ,
ब्लॉक-6, राज निवास, सिविल लाइन,
नई दिल्ली-110054

.....प्रत्यर्थी सं. 1

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
सचिव के माध्यम से,
दिल्ली सचिवालय, आईपी एस्टेट,
नई दिल्ली

..... प्रत्यर्थी सं. 2

दिल्ली नगर निगम
अपने आयुक्त के माध्यम से
24वीं मंजिल, डॉ. एसपीएम सिविक सेंटर,
मिंटो रोड,
नई दिल्ली-110002

..... प्रत्यर्थी सं. 3

एमसीडी/महापौर की स्थायी समिति के सदस्यों
के चुनाव के लिए रिटर्निंग अधिकारी,
दिल्ली नगर निगम, नगर निगम सचिव के माध्यम से
डॉ. मुखर्जी सिविक सेंटर, मिंटो रोड,
नई दिल्ली-110002

....प्रत्यर्थी सं. 4

(द्वारा: श्री उदित मलिक, अति.स्था.अधि., रा.रा.क्षे.दि.स. श्री विशाल चंदा,
अधिवक्ता, श्री उदित मलिक, अति.स्था.अधि. के साथ प्रत्य-2 के
अधिवक्ता श्री विशाल चंदा
श्री अजय दिगपाल, स्थायी अधिवक्ता, श्री कमल दिगपाल और सुश्री
स्वाति क्वात्रा, प्रत्य-3 के अधिवक्ता
श्री राजशेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री मोहित सिवाच, श्री
प्रियंकर तिवारी, सुश्री मानसी सूद और सुश्री विशाखा गुप्ता, प्रत्य-4 के
अधिवक्तागण)

उद्घोषण तिथि: 23.05.2023

निर्णय

1. यह दो रिट याचिकाएं दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (एतद् पश्चात 'डीएमसी अधिनियम, 1957' के रूप में संदर्भित) की धारा 45 के अधीन गठित होने वाली आवश्यक स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव से संबंधित है। चूंकि दोनों मामलों में समान मुद्दे जैसे मतपत्र की अस्वीकृति; पुनः मतदान का निर्णय; और रिट क्षेत्राधिकार के अधीन हस्तक्षेप की

गुंजाइश शामिल है, इसलिए उन्हें एक ही आदेश द्वारा तय किया जा रहा है।

2. रि.या.(सि) 2502/2023 में याचिकाकर्ता, अर्थात् कमलजीत सहरावत ने 04.12.2022 को आयोजित दिल्ली नगर निगम (एतद् पश्चात् 'एमसीडी') का आम चुनाव लड़ा और वार्ड संख्या 120, द्वारका-बी, नई दिल्ली से नगर निगम पार्षद के रूप में चुने गए।

3. याचिकाकर्ता ने अन्य बातों के साथ-साथ डीएमसी की स्थायी समिति के लिए 24.02.2023 को हुए चुनाव के अनुसरण में उसे निर्वाचित घोषित करने का निर्देश देने का अनुरोध किया है। स्पष्टता के लिए, रि.या.(सि) 2502/2023 में दावा की गई राहत को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"ऊपर दी गई दलीलों के मद्देनजर, आवेदक यहां अति सम्मान पूर्वक इस माननीय न्यायालय से निम्न प्रार्थना स्वीकार करने का निवेदन करता है:

क) प्रत्यर्थी सं. 4 को रिटर्निंग अधिकारी की क्षमता में दिल्ली नगर निगम के जनरल हाउस द्वारा चुने जाने वाले स्थायी समिति के 06 सदस्यों के 24.02.2023 को हुए चुनावों के परिणामों को आधिकारिक तौर पर घोषित करने के निर्देश दें, पूर्ण रूप से दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया और कार्य संचालन) विनियम 1958 के विनियम 51(10) एवं (11) के अनुसार; और

ख) 24.02.2023 को हुए चुनावों में दिल्ली नगर निगम की स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में वैध रूप से चुने गए इन उम्मीदवारों की घोषणा करें (i) सुश्री मोहिनी (आप), (ii) श्री मोहम्मद आमिर मलिक (आप), (iii) सुश्री रमिंदर कौर (आप), (iv) श्री गजेंद्र सिंह दराल (निर्दलीय), (v) सुश्री कमलजीत सहरावत (भाजपा), (vi) श्री पंकज लूथरा (भाजपा); और

ग) नोटिस संख्या डी-1029/एम.एस./2023, दिनांक 24.02.2023 को कानून के प्रावधानों के विपरीत होने के कारण अमान्य घोषित करने के आदेश पारित करें; और

घ) दिनांक 24.02.2023 के नोटिस संख्या डी-1029/एम.एस./2023 के वर्तमान कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान उनके संचालन पर रोक लगाने के निर्देश पारित करें; और

ङ) चुनाव की शेष प्रक्रिया यानी परिणाम की घोषणा की निगरानी के लिए एक पर्यवेक्षक के रूप में एक न्यायिक अधिकारी की नियुक्ति के लिए निर्देश पारित करें; और

च) न्यायहित में संपूर्ण चुनावी प्रक्रिया का अभिलेख मंगाने के लिए निर्देश पारित करें,

छ) अगले निर्देशों तक मतपत्रों, मतगणना प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की रिकॉर्डिंग और चुनाव प्रक्रिया के अन्य प्रासंगिक अभिलेख को संरक्षित करने के लिए आरओ/महापौर/नगर पालिका सचिव को निर्देश करें; और

ज) ऐसे अन्य और अतिरिक्त आदेश (आदेशों) को पारित करें जो मामले की परिस्थितियों में उपयुक्त हों।

4. रि.या.(सि)2503/2023 में, याचिकाकर्ता एमसीडी चुनाव, 2022 में वार्ड संख्या 146, अमर कॉलोनी से निर्वाचित पार्षद है। उनकी स्थायी समिति के गठन में रुचि होने के कारण उन्होंने दिनांक 24.02.2023 को नोटिस जारी करने में मेयर/आरओ की कार्रवाई को भी चुनौती दी है। इस प्रकार यह देखा जाता है कि वह याचिकाकर्ता यानी कमलजीत सहरावत द्वारा रि.या.(सि)2502/2023 दायर किये गए मामले का भी समर्थन कर रही है। इसलिए इस रिट याचिका, रि.या.(सि) 2502/2023 को मुख्य मामला माना जा रहा है।

5. वर्तमान विवाद से संबंधित तथ्य 04.12.2022 को आयोजित डीएमसी चुनावों में उत्पन्न होते हैं, जिसमें 250 पार्षदों के चुनाव के बावजूद, महापौर/उपमहापौर और स्थायी समिति का चुनाव नहीं किया गया था। इसके बाद भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सुश्री शेली ओबेरॉय और अन्य लोगों द्वारा दायर एक रिट याचिका के माध्यम से माननीय उच्चतम न्यायालय में याचिका दायर की गई।

6. इसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय ने शेली ओबेरॉय और अन्य बनाम दिल्ली के उपराज्यपाल के कार्यालय और अन्य ने दिनांक 17.02.2023 के आदेश के माध्यम से निम्नलिखित निर्देश जारी किए-

"16. इसलिए, हम निम्नलिखित निर्देश जारी करते हैं-

(i) दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक में, चुनाव पहले महापौर पद के लिए किया जाएगा और उस चुनाव में, अधिनियम की धारा 3 (3) (ख)(झ) के संदर्भ में नामित सदस्यों को मतदान करने का अधिकार नहीं होगा।

(ii) महापौर के चुनाव के दौरान महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के संचालन के लिए पीठासीन प्राधिकारी के रूप में कार्य करेगा, जिस पर धारा 3 (3)(ख)(झ) के संदर्भ में नामांकित सदस्यों द्वारा वोट के प्रक्रिया पर प्रतिबंध भी लागू रहेगा; और

(iii) दिल्ली नगर निगम की पहली बैठक बुलाने का नोटिस चौबीस घंटे की अवधि के भीतर जारी किया जाएगा। नोटिस में पहली बैठक बुलाने की तिथि तय की जाएगी जिसमें उपरोक्त निर्देशों के अनुसार महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव किया जाएगा।

7. इसके बाद, 18.02.2023 को महापौर, उपमहापौर और स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए 22.02.2023 को एमसीडी की पहली बैठक के लिए डीएमसी अधिनियम 1957 की धारा 73 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक नोटिस जारी किया गया था।

8. याचिकाकर्ता ने स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव लड़ने के लिए निर्धारित प्रपत्र के अनुसार अपना नामांकन पत्र जमा किया।

9. महापौर, उपमहापौर का चुनाव 22.02.2023 को संपन्न हुआ। हालांकि, 22.02.2023 को स्थायी समिति के छह सदस्यों का चुनाव नहीं हो सका। इसलिए, महापौर/आरओ द्वारा 23.02.2023 को एक और नोटिस

जारी किया गया जिसमें एमसीडी की पहली स्थगित बैठक 24.02.2023 को सुबह 10:00 बजे फिर से तय की गई।

10. 24.02.2023 को हुई स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया में, 242 निर्वाचित सदस्यों ने दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया और व्यवसाय का संचालन) विनियम, 1958 (एतद् पश्चात 'विनियम, 1958') के अनुसार अपने मताधिकार/मत का प्रयोग किया।

11. छह निर्वाचित उम्मीदवारों में से तीन-तीन सदस्य भारतीय जनता पार्टी (एतद् पश्चात 'भाजपा') के थे, जिसमें याचिकाकर्ता और आम आदमी पार्टी (एतद् पश्चात 'आप') भी शामिल थे। मतदान समाप्ति के बाद वैध एवं अवैध मतों की जांच की गई। हालांकि, कोई भी अवैध मतपत्र नहीं पाया गया। इसके बाद छह निर्वाचित उम्मीदवारों के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई।

12. इसके बाद, मेयर, जो रिटर्निंग ऑफिसर (इसके बाद 'आरओ') भी होता है, ने एक वोट को इस आधार पर अवैध घोषित कर दिया कि मतदाता ने मतपत्र पर अपनी प्राथमिकता के रूप में 1, 2 या 3 डालने के बजाय एक ही उम्मीदवार को अपनी पहली वरीयता दी है और दो उम्मीदवारों को दूसरी वरीयता दी है। इस प्रकार महापौर/आरओ ने परिणाम घोषित नहीं किए, बल्कि स्थगित की जा चुकी पहली बैठक को फिर से 27.02.2023 के लिए तय कर दिया। महापौर/आरओ ने भी दिनांक

24.02.2023 को नोटिस के माध्यम से स्थायी समिति के सदस्यों के पुनर्निर्वाचन/पुनर्मतदान के लिए निर्देशित किया। इस प्रकार, याचिकाकर्ता ने तत्काल याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है।

13. संबंधित याचिकाकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी और श्री जयंत मेहता ने प्रस्तुत किया है कि जांच पूरी होने के बाद महापौर/आरओ के पास किसी भी वोट को अवैध घोषित करने का कोई अधिकार नहीं है और इसलिए स्थायी समिति के सदस्यों के पुनः चुनाव के लिए जारी दिनांक 24.02.2023 का नोटिस न केवल अवैध, अनुचित और क्षेत्राधिकार के परे है, बल्कि दुर्भावनापूर्ण इरादे से प्रेरित भी है।

14. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने यह भी प्रचार किया कि प्रत्यर्थी संख्या 4 /महापौर/आरओ की कार्रवाई विनियम, 1958 का घोर उल्लंघन है और इसलिए 24.02.2023 को आयोजित चुनाव के अनुसार स्थायी समिति का गठन करने के लिए महापौर/आरओ को निर्देश देते हुए विवादित कार्रवाई को रद्द किया जाना चाहिए।

15. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने विनियम, 1958 के माध्यम से इस न्यायालय का रुख किया है। उन्होंने विनियम, 1958 में परिकल्पित प्रक्रिया की एक विशेष योजना को इंगित करने के लिए विनियम, 1958 के विनियम 51(7)-(10) को विशेष रूप से आधार बनाया है। उनका तर्क है

कि वोट डालने के बाद, विनियम, 1958 के विनियम 51 (10) के अनुसार महापौर/आरओ मतपेटी खोलेंगे और उसमें मौजूद मतपत्र निकालेंगे। इसके बाद, महापौर/आरओ को बाहर निकाले गए या गिने जाने वाले मतपत्रों की संख्या की गणना करनी होगी और उस संख्या को लिखित में दर्ज करना होगा। इसके बाद महापौर/आरओ को मतपत्रों की जांच करनी होती है और वैध मतपत्रों को उन मतपत्रों को अलग करना होता है जिन्हें वह अमान्य मानती है और उस पर 'अस्वीकृत' और अस्वीकृति के आधार लिखना होता है। इसके बाद, महापौर/आरओ को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली प्राथमिकता के अनुसार पार्सल में वैध मतपत्रों की व्यवस्था करनी होगी। अंत में बैठक में मतों की गिनती ऐसे व्यक्तियों की उपस्थिति में की जाएगी जो उस संबंध में महापौर/आरओ द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सहायता से उपस्थित हो सकते हैं। इसलिए, प्रस्तुत किया गया है कि वोटों की गिनती पूरी होने पर महापौर/आरओ फॉर्म-4 में एक रिटर्न तैयार और प्रमाणित करेंगे, जिसमें निम्न जानकारी होगी -

(1) उन उम्मीदवारों के नाम जिनके लिए वैध मत दिए गए हैं; (2) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वैध मतों की संख्या; (3) अवैध घोषित और अस्वीकृत मतों की संख्या; और (4) निर्वाचित घोषित किये गये व्यक्तियों के नाम।

16. इस प्रकार उनके द्वारा निवेदन किया गया है कि वैध और अवैध मतपत्र की जांच की प्रक्रिया विनियम, 1958 के विनियम 51(10) के अधीन निर्धारित है।

17. विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी मुख्य तर्क दिया गया है कि विनियम, 1958 के विनियम 10 (ख) में स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतों की गिनती के लिए नियम 115, नियम 116 के उप-नियम (ii) नियम 121 से 127 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम (चुनाव और चुनाव याचिका का संचालन) नियमों के नियम 129 द्वारा शासित होने का प्रावधान और जनादेश 1956 (एतद् पश्चात 'नियम, 1956') है।

18. इसलिए, याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि दो चरण, यानी जांच और गिनती एक-दूसरे से स्वतंत्र हैं और एक के बाद एक होने चाहिए। उनके अनुसार, एक बार जब जांच का चरण समाप्त हो जाता है और प्रक्रिया वोटों की गिनती के चरण तक पहुंच जाती है, तो उस समय महापौर/आरओ वैध मतपत्र की जांच के अधिकार क्षेत्र को फिर से संभालने के लिए घड़ी को पीछे नहीं कर सकते हैं। उनके अनुसार ऐसा दृष्टिकोण गलत है और विनियम, 1958 का उल्लंघन करता है।

19. वह फरवरी 2016 में राज्य परिषद और राज्य विधान परिषदों के चुनावों के लिए आरओ के लिए एक पुस्तिका को भी आधार बनाना चाहते हैं। खंड 10.1 से 12.1 तक का विशिष्ट संदर्भ दिया गया है।

20. याचिकाकर्ताओं के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने *भारत के चुनाव आयोग बनाम अशोक कुमार, अशरफ यूनुस मोतीवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य, सरोज बनाम दिल्ली राज्य चुनाव आयोग और अन्य, पांडिचेरी बास्केटबॉल संघ बनाम भारत संघ और अन्य और शिवसागर तिवारी बनाम भारत संघ* के मामलों में अपनी दलीलों को साबित करने के लिए विभिन्न निर्णयों को आधार बनाया है।

21. प्रत्यर्थी सं.4 महापौर/आरओ की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल मेहरा का कहना है कि चुनावों के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप के सीमित दायरे को देखते हुए ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं। वह *एनपी पोन्नस्वामी बनाम रिटर्निंग ऑफिसर, नमक्कल निर्वाचन क्षेत्र, कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह बनाम एसडीओ हिलसा-सह रिटर्निंग ऑफिसर, भारत निर्वाचन आयोग बनाम शिवाजी, हरनेक सिंह बनाम चरणजीत सिंह और किरण पाल सिंह त्यागी बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली)* मामलों में निर्णयों को आधार बनाते हुए अपने तर्क का समर्थन करते हैं।

22. प्रत्यर्थी सं. 4 महापौर/आरओ के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का यह भी कहना है कि पुनर्मतदान चुनाव परिणाम की घोषणा से पहले का चरण है और पुनः मतदान के आदेश को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन चुनौती नहीं दी जा सकती है। उनके अनुसार, यह दलील *मोहिंदर*

सिंह गिल और अन्य बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य मामले में संविधान पीठ के निर्णय और *गौरवभाई बाबूभाई मनिया बनाम मुख्य चुनाव आयुक्त* मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के निर्णय द्वारा समर्थित है।

23. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इस न्यायालय में विभिन्न दस्तावेजों के माध्यम से कहा कि नगरपालिका सचिव ने 24.02.2023 की स्थगित पहली बैठक के लिए नोटिस जारी करने से पहले 23.02.2023 को एक समान नोटिस जारी किया था, जिसमें 24.02.2023 को एमसीडी की स्थगित पहली बैठक को फिर से निर्धारित करने का संकेत दिया गया था। उक्त नोटिस को दिनांक 23.02.2023 को श्री शरद कपूर (परामर्शदाता) द्वारा रि.या.(सि) 2431/2023 में चुनौती दी गई थी। जिस नोटिस को रि.या.(सि) 2431/2023 में चुनौती दी गई थी, उसका शब्दांकन दिनांक 24.02.2023 के विवादित नोटिस के समान था। चूंकि रि.या.(सि) 2431/2023 को इसी तरह के नोटिस के विरुद्ध पहले से ही चुनौती होने की स्थिति में वापस ले लिया गया था, इसलिए ये याचिकाएं सुनवाई योग्य नहीं हैं।

24. उनका कहना है कि प्रत्यर्थी सं.4- महापौर/आरओ के दिनांक 24.02.2023 के नोट का आशय 'पुनः मतदान' था न कि 'नए सिरे से चुनाव'। उन्होंने आगे कहा कि समेकित जवाबी हलफनामे के पैराग्राफ 9 के जवाब में याचिकाकर्ताओं की समझ भी यही है और 24.02.2023 के अपने

नोट के पैराग्राफ 5 में नगरपालिका सचिव की भी यही समझ है। उनका यह भी कहना है कि इस्तेमाल किए गए 'नए चुनाव' शब्द को नए/नए सिरे से चुनाव के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए क्योंकि प्रत्यर्थी सं.4 का ऐसा कोई इरादा नहीं है।

25. उनका कहना है कि विनियमन, 1958 के विनियमन 51(11) में निर्धारित फॉर्म-IV में प्रत्यर्थी सं. 4 द्वारा रिटर्न तैयार किये और प्रमाणित किये बिना चुनाव प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकती। उनका कहना है कि इस विनियमन को दरकिनार नहीं किया जा सकता है और इसके अनुपालन के बिना चुनाव प्रक्रिया पूरी हुई नहीं कही जा सकती है ।

26. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता इस न्यायालय को फॉर्म-III (वोट पत्र) और उसमें लिखे निर्देश सं.5 के बारे में बताते हैं। उनका कहना है कि निर्देश सं.5 में विशेष रूप से कहा गया है कि मतदाताओं को एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने एक ही अंक नहीं लगाना है। उन्होंने आगे कहा कि यदि लागू कानूनी व्यवस्था के लिए किसी विशेष तरीके से वोट डालने की आवश्यकता होती है, तो उसे अकेले ही उसी तरीके से करना होगा। उन्होंने आगे कहा कि मौजूदा मामले में, माना जाता है कि मतपत्रों में से एक में दो उम्मीदवारों के सामने अंक 2 है, जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है और इसे वैध मतपत्र नहीं माना जा सकता है।

27. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने मतपत्र के निर्देश सं.5 पर विशेष रूप से जोर देते हुए कहा कि, यदि उक्त निर्देश को विनियम, 1958 के विनियम 51(8)(क) के साथ पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट हो जाएगा कि विवादित मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए क्योंकि मतदाता ने निर्देश सं.5 के विपरीत वरीयता को चिह्नित किया है, जो निम्नानुसार है :—

“एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने एक ही अंक न लगाएं”

28. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निवेदन किया कि निर्देश संख्या 5 वैधानिक मान्यता मानता है और इसके किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप निस्संदेह मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है।

29. उनका यह भी कहना है कि चुनाव आयोजित करने और वोटों की गिनती करने का तरीका विनियम, 1958 में समझाया गया है और इसलिए याचिकाकर्ताओं ने जिस नियम, 1956 को आधार बनाया है, उससे उन्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। उनके अनुसार, नियम, 1956 और विनियम, 1958 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या करने की आवश्यकता है ताकि चुनाव और वोटों की गिनती के तरीके में निष्पक्षता और पारदर्शिता के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त किया जा सके। उनके अनुसार, विनियम, 1958 और नियम, 1956 के बीच किसी भी टकराव की स्थिति में, विनियम, 1958 को

नियम, 1956 पर प्राथमिकता दी जाएगी क्योंकि विनियम डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 82 के अधीन बनाए गए हैं।

30. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने महापौर/आरओ द्वारा तैयार किए गए नोट को बड़े पैमाने पर पढ़ा है और इसे तकनीकी विशेषज्ञ श्री रवि प्रकाश द्वारा तैयार किए गए नोट के साथ जोड़ा है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि तकनीकी विशेषज्ञ के पास निर्वाचित उम्मीदवारों के परिणाम घोषित करने के लिए किसी भी नियम या विनियम के अधीन कोई अधिकार नहीं है। उनके अनुसार, महापौर/आरओ ही फॉर्म-III में चुनाव परिणाम घोषित कर सकते हैं। तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा महापौर/आरओ की वैधानिक शक्ति का हनन नहीं किया जा सकता है। यदि महापौर/आरओ के अनुसार चुनाव प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं थी और इसके लिए पुनःमतदान की आवश्यकता है, तो महापौर/आरओ के दृष्टिकोण में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है।

31. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, महापौर/आरओ ने अपने नोट में उल्लेख किया है कि चुनाव और गिनती की प्रक्रिया को एक पवित्र प्रक्रिया माना जाता है जो न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष होनी चाहिए, बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखाई भी देनी चाहिए। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हो चुकी घटनाओं पर निम्नलिखित परिप्रेक्ष्य का समर्थन किया- महापौर/आरओ ने नोट किया कि 24.02.2023 पर चुनाव प्रक्रिया

पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी नहीं की जा सकी। एक मतपत्र पर आपत्ति जताई गई थी क्योंकि यह मतपत्र पर चिह्नित करने के बुनियादी निर्देशों के विरुद्ध था। सदस्य सचिव, इसके बाद, महापौर/आर.ओ. द्वारा मतपत्र की वैधता पर निर्णय लेने की प्रतीक्षा करने के बजाय, अपने विवेक से, महापौर/आर.ओ. के निर्देशों की अवहेलना करते हुए, विभिन्न उम्मीदवारों के संदर्भ में मतों की गणना पत्र को थोपने की कोशिश की। चूंकि महापौर/आर.ओ. ने पाया कि उन गणनाओं में हेरफेर किया गया था और वे उचित परिणाम पेश नहीं कर रहे थे, इसलिए महापौर/आर.ओ. ने अपने दम पर नए सिरे से गणना की। जब उन्होंने निर्वाचित सदस्यों के नामों के साथ मतों की अंतिम गणना की घोषणा शुरू की, तो उक्त समय के दौरान, भाजपा पार्षदों ने उन पर हमला किया, उन्हें महापौर/आरओ सीट से हटा दिया गया और किसी तरह महापौर/आरओ को भाजपा पार्षदों के हमले से खुद को बचाना पड़ा।

32. यह कहा गया है कि भाजपा पार्षदों ने चुनाव प्रक्रिया के सभी प्रासंगिक कागजात भी लूट लिए और इसलिए, किसी भी परिणाम की घोषणा कानूनी और नैतिक निष्ठा से रहित होगी। इसलिए, उन्होंने अधूरे चुनाव प्रक्रिया को सदन में ही अमान्य घोषित कर दिया, जिसमें तत्काल कार्यवाही में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है।

33. उन्होंने यह भी कहा कि तत्काल याचिकाओं में मांगी गई राहत भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के दायरे से बाहर है। परिणामों के दो सेट होते हैं, यानी एक तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा तैयार किया गया और दूसरा महापौर/आरओ द्वारा तैयार किया गया, किसी भी परिणाम को इस न्यायालय द्वारा घोषित करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि तत्काल मामलों में, महापौर/आरओ ने अपने विवेक से परिणाम घोषित करने के बजाय 'पुनः मतदान' का निर्देश दिया, ताकि दूसरे पक्ष द्वारा बताए गए किसी भी आक्षेप को दूर किया जा सके।

34. वह याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार बनाए गए सभी निर्णयों को अलग करता है और प्रस्तुत करता है कि **अशोक कुमार** (पूर्वोक्त) के मामले में निर्णय प्रत्यर्थी सं.4 को राहत देगा क्योंकि तत्काल याचिकाओं में राहत इस चुनाव को आगे बढ़ाने के लिए नहीं है, बल्कि यह चुनाव में व्यवधान, अड़चन और बाधा का कारण बनेगा।

35. श्री राज शेखर राव, वरिष्ठ अधिवक्ता, जो रि.या.(सि) संख्या 2503/2023 में महापौर/आरओ की ओर से उपस्थित हुए, ने इस बात पर प्रकाश डाला कि नियम, 1956 को दिनांक 15.04.1961 की अधिसूचना के संदर्भ में नियमों के नए सेट अर्थात् चुनाव संचालन नियम, 1961 (एतद् पश्चात् '**नियम, 1961**') के माध्यम से निरस्त कर दिया गया है। हालांकि, वह कहते हैं कि नियम, 1956 के निरसन के बाद सामान्य खंड

अधिनियम, 1897 की धारा 8 के अनुसार, उक्त अधिनियम में या इस प्रकार निरस्त किए गए प्रावधानों के किसी भी उपकरण में किसी भी संदर्भ को, जब तक कोई अलग अपेक्षा प्रकट न की जाए, पुनः अधिनियमित प्रावधान का संदर्भ माना जाएगा। उनका कहना है कि नियम, 1961 में लगभग समान प्रावधान मौजूद हैं, सिवाय इसके कि उनकी संख्या अलग-अलग है।

36. उन्होंने आगे कहा कि अधिनियम, 1957 की धारा 7 (झ) और धारा 15 के अनुसार पीड़ित व्यक्ति के पास चुनाव समाप्त होने के बाद भी चुनाव याचिका दायर करने का समाधान हो सकता है।

37. इस न्यायालय ने नियम, 1961 पर ध्यान दिया है और चूंकि पक्ष इस बात पर सहमत हुए हैं कि कुछ बदलावों को छोड़कर नियमों के दोनों सेटों में प्रावधान समान हैं, जिनसे इस न्यायालय का फिलहाल कोई लेना-देना नहीं है। इसलिए, नियम, 1956 से संदर्भ लिया जा रहा है क्योंकि पक्षों द्वारा उनका व्यापक रूप से उल्लेख किया गया है।

38. अन्यथा भी, नियम, 1956 के नियम 115, 116(1), 121-127 और 129 को संदर्भ के माध्यम से शामिल किया गया है, इसलिए, नियम, 1956 में कोई भी संशोधन स्वचालित रूप से विनियम, 1958 में नहीं पढ़ा जाएगा। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गौरी शंकर बनाम यूपी राज्य**

मामले में कानूनी स्थिति को संक्षेप में समझाया गया है, जिसमें पैराग्राफ संख्या 22 और 23 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"22. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि निगमन द्वारा कानून के मामले में, सम्मिलित प्रावधान बाद के नए कानून का हिस्सा ऐसे बन जाएंगे जैसे मानो इसे बाद के कानून के हिस्से के रूप में कलम से लिखा गया हो या भौतिक रूप से मुद्रित किया गया हो और उस अधिनियम का एक अभिन्न हिस्सा बन गया हो। उन्हें शामिल करते समय विधायिका का इरादा यह अनुमान लगाने का नहीं था कि पिछले अधिनियम में किसी भी बाद के संशोधन या उसके निरसन से बाद के अधिनियम की संरचना बदल जाएगी जब तक कि पिछला अधिनियम बाद के अधिनियम का पूरक न हो या दोनों समरूपता में न हों, उस स्थिति में यह बाद के अधिनियम को पूर्ण रूप से अव्यवहार्य और निष्प्रभावी बना देगा या आवश्यक इरादे से इसे लागू नहीं करेगा।

23. आइए संदर्भ दिए गए मामलों पर विचार करते हैं। सीमा शुल्क कलेक्टर, मद्रास बनाम नथेला सम्पाथु चेट्टी और अन्य मामले में, 1952 में यथा संशोधित विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 23क में यह उपबंध किया गया है कि धारा 8 में लगाए गए प्रतिबंध को समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम, 1878 की धारा 19 के अधीन अधिरोपित माना जाएगा और अधिनियम के सभी उपबंध तदनुसार प्रभावी होंगे। एक प्रतिविरोध उठाया गया था कि समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम को निगमित किया गया था और इसलिए, केवल उसी प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। उनकी संवैधानिक वैधता पर भी सवाल उठाया गया। इस न्यायालय ने कहा कि "एक कानून का दूसरे कानून में उल्लेख मात्र या

उद्धरण मात्र तथा समावेशन के बीच अंतर है, जिसका अर्थ वास्तव में एक कानून के प्रावधानों को पूरी तरह से हटाना तथा उसे दूसरे कानून का हिस्सा बनाना है, इस हद तक कि पहले कानून को निरस्त करने पर भी दूसरे कानून को पूरी तरह से अछूता छोड़ दिया जाता है।" समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 19, सामान्य खंड अधिनियम की धारा 8 और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 23 ए के प्रावधानों पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने माना कि अनुकूलन केवल संदर्भ के माध्यम से है, न कि निगमन के माध्यम से और समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम के निरसन का कोई परिणाम नहीं था। जब्ती और हिरासत के आदेश को बरकरार रखा गया।

[जोर दिया गया] "

39. नगर सचिव/प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री अजय दिगपाँल ने 24.02.2023 को आयोजित दिल्ली नगर निगम की स्थगित पहली बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति अभिलेख पर रखी है। बैठक के कार्यवृत्त पर नगर सचिव और महापौर/आरओ द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं और दिल्ली नगर निगम की निम्नलिखित बैठक में इसकी पुष्टि भी की गई है।

40. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री महेश जेठमलानी और श्री जयंत मेहता ने अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतीकरण में इस बात पर जोर दिया कि उनके अनुसार, विनियम, 1958 का विनियम 51(8)(क) अनिवार्य नहीं है। भले ही उक्त विनियम को मतपत्र के निर्देशों के साथ पढ़ा जाए, तो यह देखा

जाएगा कि मतपत्र स्वयं अनिवार्य और निर्देशिका निर्देशों के बीच विशेष रूप से अंतर करता है। विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने निर्देश संख्या 5 को निर्देश संख्या 6 के साथ तुलना करने के बाद बताया कि मतपत्र के निर्देश संख्या 6 में यह विशेष रूप से उल्लेखित है कि 1, 2, 3 के अलावा अन्य भाषा अर्थात् रोमन, हिंदी, उर्दू आदि में लिखे अंक वाले मतपत्र को अवैध माना जाएगा। इसलिए, उन्होंने स्पष्ट किया कि निर्देश संख्या 5 के विरुद्ध, उल्लंघन के मामले में, कोई विशिष्ट परिणाम निर्धारित नहीं है, इसलिए, इसे प्राकृतिक रूप से अनिवार्य नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे बताया कि विनियम, 1958 का विनियम 51(8)(क) भी अनिवार्य नहीं है और किसी भी मतपत्र को अमान्य घोषित करने के विशिष्ट उद्देश्यों के लिए इस पर विचार नहीं किया जा सकता है, जैसे कि किस मतपत्र को घोषित किया जाना नियमावली, 1956 के नियम 116(1) के अधीन अवैध माना गया है।

41. उनके अनुसार, नियम, 1956 का नियम 116 (1) विनियम, 1958 के विनियम 51 (10) (ख) के अनुसार लागू है और किसी भी मतपत्र को अवैध घोषित करने के उद्देश्य से उक्त नियम 116(1) अपने आप में एक पूर्ण संहिता है। किसी भी मतपत्र को अवैध घोषित करने के उद्देश्य से नियम 116 से परे किसी भी चीज पर विचार नहीं किया जा सकता है।

42. यह प्रस्तुत किया गया है कि सदन में कथित अशांति एक बाद का विचार है और नगरपालिका सचिव द्वारा तैयार की गई शीट के अनुसार परिणाम की घोषणा से बचने के लिए इसे स्वयं मेयर/आरओ द्वारा कराया गया था। चूँकि इस प्रकार तैयार किया गया परिणाम मेयर/आरओ, जो कि सत्ताधारी दल से हैं, को पसंद नहीं आया, इसलिए पुनर्मतदान का निर्णय लिया गया है।

43. उनका यह भी कहना है कि विनियम, 1958 या नियम, 1956 के अधीन पुनः मतदान या पुनर्निर्वाचन का कोई प्रावधान नहीं है। उनके अनुसार, महापौर/आरओ द्वारा न तो पुनर्मतदान और न ही पुनःचुनाव का निर्देश दिया जा सकता है, जब तक कि महापौर/आरओ को लागू नियामक व्यवस्था में ऐसी शक्ति प्राप्त न हो। फिर उनका तर्क है कि यदि पुनर्मतदान या पुनः चुनाव या पुनर्मतगणना होना ही है, तो यह केवल सक्षम न्यायालय के आदेश से ही किया जाना चाहिए।

44. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने बताया कि निर्विवाद रूप से सदन द्वारा अनुमोदित कार्यवृत्त, नगर सचिव द्वारा हस्ताक्षरित और महापौर/आरओ से पता चलता है कि परिणाम तैयार किया गया था और उसके बाद ही महापौर/आरओ ने इस पर आपत्ति करनी शुरू कर दी थी। उनका यह भी कहना है कि इस तथ्य के संबंध में कोई विवाद नहीं है कि विवादित मतपत्र पर उनकी पहली प्राथमिकता श्री पंकज लूथरा के पक्ष में

अंकित थी, जो भाजपा के उम्मीदवार हैं और यदि इसे खारिज कर दिया जाता है, तो यह सुश्री सारिका चौधरी को निर्वाचित घोषित करने जैसा होगा, जो आप उम्मीदवार हैं।

45. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा **सेव मोरेश्वा दीना नाथ बनाम श्री शांताराम काले और अन्य** मामले में बॉम्बे उच्च न्यायालय (औरंगाबाद पीठ) की खंडपीठ के निर्णय को आधार बनाया है, जिसमें कहा गया है कि मनमाने परिणाम आने और बैठक स्थगित होने पर याचिका संधार्य होगी।

46. **अशरफ यूनुस मोतीवाला** (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय पर उक्त प्रस्ताव को प्रमाणित करने पर और जोर दिया गया है। उन्होंने यह तर्क देने के लिए **उदय चंद बनाम सूरत सिंह और अन्य** मामले में दिए गए निर्णय को आधार बनाया है कि दोबारा गिनती का आदेश नहीं दिया जा सकता। अपनी दलील के समर्थन के लिए आरओ की शक्ति और उसकी भूमिका कानून के अधीन सीमित है, वे **उत्तमराव शिवदास जंकर बनाम रंजीतसिंह विजयसिंह मोहिते पाटिल, ज्योति बसु और अन्य बनाम देबी घोषाल और अन्य और प्रहलाददास खंडेलवाल बनाम नरेंद्र कुमार सालवे** मामलों में दिए गए निर्णयों को आधार बनाया है।

47. अपने इस निवेदन को सिद्ध करने के लिए कि केवल पहली वरीयता अनिवार्य है, उन्होंने **के.एम श्रद्धा देवी बनाम कृष्ण चंद्र पंत और**

अन्य और अनंगा उदय सिंह देव बनाम रंगा नाथ मिश्रा और अन्य मामलों के निर्णयों को आधार बनाया है।

48. याचिकाकर्ताओं द्वारा अपने प्रत्युत्तर में की गई कुछ दलीलों को स्पष्ट करने के इरादे से विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल मेहरा और श्री राज शेखर राव आदेश निवेदन करते हैं कि यदि फिर से मतदान की अनुमति दी जाती है, तो किसी भी पक्ष के लिए कोई पूर्वाग्रह उत्पन्न नहीं होगा और यह व्यापक सार्वजनिक हित में होगा। यही लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास उत्पन्न करेगा, इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों के अधीन महापौर/आरओ के लिए यह एकमात्र रास्ता है।

49. उन्होंने कहा कि महापौर/आरओ के पास कोई अन्य उपलब्ध तंत्र नहीं बचा है जो ऐसी स्थिति से निपट सके। वे यह भी कहते हैं कि नगरपालिका सचिव के पास परिणाम पत्र को अंतिम रूप देने की कोई शक्ति या अधिकार नहीं है क्योंकि इसकी शक्ति केवल महापौर/आरओ के पास है जिसका उपयोग किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा नहीं किया जा सकता है।

50. उनका यह भी कहना है कि आज की तिथि में भी न ही श्री पंकज लूथरा (भाजपा उम्मीदवार) और न ही सुश्री सारिका चौधरी (आप उम्मीदवार) को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित किया जा सकता है क्योंकि गिनती पूरी नहीं हो पाई थी और परिणाम को फॉर्म-IV में अंतिम रूप नहीं

दिया गया था । उन्होंने यह भी बताया कि विनियम, 1958 को तैयार करने की शक्ति डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 82 के अधीन आती है और इसे नियम, 1956 के मुकाबले प्राथमिकता दी जाएगी। मतपत्र में किसी भी निर्देश का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना चाहिए और उससे विचलन के परिणामस्वरूप मतपत्र को अमान्य कर दिया जाना चाहिए, अन्यथा, किसी भी निर्देश का कोई उद्देश्य नहीं है।

51. विद्वान अधिवक्ता याचिकाकर्ताओं की दलीलों का विशेष रूप से खंडन करने का प्रयास करते हैं। वे कहते हैं कि निर्देश सं. 6, जिसे याचिकाकर्ताओं ने निर्देश की अनिवार्य और निर्देशिक प्रकृति के बीच अंतर करने का आधार बनाया है, वह विनियम, 1958 के अधीन निर्धारित प्रपत्र-III का हिस्सा नहीं है। इसलिए, उनका कहना है कि नगरपालिका सचिव ने दुर्भावनापूर्ण इरादे से निर्देश संख्या 6 को शामिल करने में अपनी अधिकारिता से परे काम किया। निर्देश सं. 5 को नाममात्र नहीं माना जा सकता। इसे उचित महत्व दिया जाना चाहिए।

52. वे यह भी प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाया गया तर्क कि जहां तक पहली वरीयता का संबंध है, मतपत्र वैध है और दूसरी वरीयता के संबंध में, यह अमान्य है, बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। उनके अनुसार, किसी भी मतपत्र को आंशिक रूप से वैध और आंशिक रूप से अमान्य स्वीकार नहीं किया जा सकता है। फिर वे तर्क देते हैं कि

महापौर/आरओ की रिट प्रबल होनी चाहिए क्योंकि महापौर/आरओ सबसे अच्छा प्राधिकरण है जो सदन में स्थिति का आकलन कर निर्णय ले सकता है।

53. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राहुल मेहरा और श्री राज शेखर राव ने अपने प्रत्युत्तर प्रस्तुतियों में याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार बनाए गए निर्णय को अलग किया और इस न्यायालय को पैरा सं. 4 और 67 के माध्यम से बताते हुए कहा कि **श्री शांताराम काले** (पूर्वोक्त) मामले में तथ्य अलग थे और इसलिए, निर्णय अलग है।

54. विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राव ने विशेष रूप से कहा है कि पैरा सं. 67 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय (औरंगाबाद बेंच) के खंडपीठ का निर्णय मुख्य रूप से इस कारण से आया था कि इस मामले में महाधिवक्ता ने सहमति दी थी कि निगम द्वारा पारित प्रस्ताव अन्यायपूर्ण था और उसमें निहित शक्तियों से अधिक था।

55. अशोक कुमार (पूर्वोक्त) मामले में एक निर्णय पर, विशेष रूप से उसके पैराग्राफ सं.28 को आधार बनाते हुए, यह प्रस्तुत किया गया है कि यह न्यायालय न तो उत्पन्न हुए विवादों से आंखें मूंद सकती है और न ही एक अति उत्साही कार्यकर्ता की भूमिका निभा सकती है। चूंकि चुनावी विवादों से निपटने में दोनों चरम सीमाओं से बचा जाना चाहिए और इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों के अधीन, जब महापौर/आरओ ने एक

विचार रखा है, तो वह लागू होना चाहिए। तदनुसार, याचिका को खारिज करने और पक्षकारों को उचित उपाय प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ने की प्रार्थना की जाती है।

56. मैंने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परिशीलन किया है।

57. चूंकि प्रत्यर्थियों ने वर्तमान रिट याचिकाओं की संधार्यता को चुनौती दी थी। इस न्यायालय को पहले इस मुद्दे को प्रारंभिक चरण में ही निपटाना चाहिए। जहां तक मौजूदा मामले में चुनाव याचिका दायर करने के वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता का सवाल है, डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 15 लागू होती है। यह पार्षदों के चुनाव के लिए चुनाव याचिका दायर करने का प्रावधान करता है। डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 15 इस प्रकार है:-

(1) धारा 14 के अधीन चुनाव के परिणाम के प्रकाशन की तिथि से पंद्रह दिनों के भीतर दिल्ली के जिला न्यायाधीश की न्यायालय में प्रस्तुत चुनाव याचिका के अतिरिक्त किसी भी पार्षद के चुनाव पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(2) ऐसे किसी भी चुनाव पर सवाल उठाने वाली चुनाव याचिका धारा 17 में निर्दिष्ट किसी भी आधार के अधीन ऐसे चुनाव में किसी भी उम्मीदवार द्वारा, संबंधित वार्ड के किसी भी निर्वाचक द्वारा या किसी पार्षद द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है।

(3) एक याचिकाकर्ता चुनाव में सभी उम्मीदवारों को अपनी याचिका में प्रत्यर्थी के रूप में शामिल करेगा।

(4) चुनाव याचिका -

(क) में उन भौतिक तथ्यों का संक्षिप्त विवरण शामिल होगा जिनको याचिकाकर्ता आधार बनाता है;

(ख) पर्याप्त विवरणों के साथ, उस आधार या आधारों को निर्धारित करेगी जिसके आधार पर चुनाव पर सवाल उठाया गया है; और

(ग) याचिकाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्धारित तरीके से सत्यापित की जाएगी।

58. इस प्रकार, देखा गया है कि स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के लिए तत्काल मामला होने के कारण, डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 15 के अधीन चुनाव याचिका दायर करने के लिए कोई उपाय प्रदान नहीं किया गया है।

59. प्रत्यर्थियों द्वारा रख-रखाव के मुद्दे पर की गई दूसरी चुनौती यह है कि चुनाव याचिका दायर करने के समाधान के अभाव में भी मौजूदा याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, क्योंकि याचिकाकर्ता सिविल मुकदमा दायर कर सकता है।

60. **पांडिचेरी बास्केटबॉल एसोसिएशन बनाम भारतीय संघ** मामले में इस न्यायालय को चुनाव प्रक्रिया के संबंध में भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन हस्तक्षेप के दायरे पर विचार करने का अवसर मिला था। वर्तमान याचिकाओं के समान एक आपत्ति, आरओ और अन्य द्वारा उठाई गई थी कि चुनावी विवाद पर विचार करने के लिए एक विशिष्ट न्यायाधिकरण की अनुपस्थिति में, पीड़ित पक्ष को अंतिम परिणाम की घोषणा की प्रतीक्षा करनी चाहिए और फिर एक सिविल मुकदमा दायर

करना चाहिए। पैराग्राफ संख्या 48 से 50, 54 और 55 में इस न्यायालय

ने निम्नानुसार कहा था: -

48. उक्त निर्णय के पैरा सं. 19 में यह उल्लेख किया गया है कि **मोहिंदर सिंह गिल** (पूर्वोक्त) मामले में संविधान पीठ **पोन्नुस्वामी** मामले (पूर्वोक्त) पर टिप्पणी करने से नहीं रोक सकी, यह देखते हुए कि अनुच्छेद 329 में गैर-विषयक खंड अनुच्छेद 226 को बाहर कर देता है जहां विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, विवाद चुनाव पर सवाल उठाने का रूप ले लेता है, लेकिन **पोन्नुस्वामी** (पूर्वोक्त) मामले में इसे अनदेखा कर दिया गया है। पैरा सं. 20 में यह भी देखा गया है कि **मोहिंदर सिंह गिल** (पूर्वोक्त) मामले में संविधान पीठ ने पैरा सं.29 में दो प्रकार के निर्णय और दो प्रकार की चुनौतियां देखीं- पहला उन कार्यवाहियों से संबंधित है जो चुनाव की प्रगति में बाधा डालती हैं और दूसरा जो चुनाव को पूरा करने में तेजी लाती है और चुनाव को आगे बढ़ाने का काम करती है। **अशोक कुमार** (पूर्वोक्त) मामले में पैरा सं.28 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा कि चुनावी विवाद केवल दो पक्षों के बीच निजी सिविल विवाद नहीं है। समग्र रूप से निर्वाचन क्षेत्र प्रभुता परीक्षण पर है। वाद जिस भी तरीके से समाप्त होता है वह निर्वाचन क्षेत्र और आम तौर पर नागरिकों के भाग्य को प्रभावित करता है। निर्वाचन क्षेत्र के कल्याण और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सर्वोपरि विचार के साथ एक ईमानदार दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। हालाँकि जो विवाद उत्पन्न हुए हैं, उनसे न तो आँखें मूँदनी होंगी और न ही अतिउत्साही कार्यकर्ता की भूमिका निभानी होगी। इसलिए, चुनावी विवादों से निपटने में दो चरम सीमाओं से बचना होगा।

49. इस प्रकार यह देखा जाता है कि न तो संविधान के प्रावधान और न ही लो.प्रति. अधिनियम के प्रावधान किसी नागरिक द्वारा किए गए गलत काम को सुधारने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के अधिकार को पूर्ण रूप से वर्जित करते हैं। फिर भी, आम तौर पर, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर, भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन उपचार याचिकाकर्ता को उपलब्ध नहीं होगा। न्यायिक उपचार के आह्वान के माध्यम से किसी भी तरीके से चुनाव प्रक्रिया को बीच में रोकना, बाधा डालना या अविलंबित करने वाले

किसी भी दृष्टिकोण को चुनाव कार्यवाही पूरी होने तक स्थगित करना होगा। एक दृष्टिकोण जो चुनाव की प्रगति को नियंत्रित करता है और चुनाव को पूरा करने की सुविधा प्रदान करता है, उसे चुनाव पर सवाल उठाने के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है। चुनाव की कार्यवाही को धीमा करने, बाधित करने, लंबा खींचने या रोकने के किसी भी प्रयास से बचना होगा। न्यायिक समीक्षा केवल सुस्थापित मापदंडों पर ही स्वीकार्य है जो संवैधानिक निकायों के निर्णयों की न्यायिक समीक्षा को सक्षम बनाती है, उदाहरण के लिए, शक्ति का दुर्भावनापूर्ण या मनमाना प्रयोग। यह सुनिश्चित करने में सावधानी बरतनी होगी कि अनिवार्य रूप से छल या अन्यथा एक गुप्त उद्देश्य तक पहुँचने के लिए बाहरी तौर पर अहानिकर याचिका दायर करके न्यायालय की शक्तियों का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है।

50. इस प्रकार यह देखा गया है कि चुनावों से उत्पन्न होने वाले मामलों में हस्तक्षेप करने की बहुत कम गुंजाइश है। जब चुनाव संसदीय या विधायी निर्वाचन क्षेत्रों से संबंधित होता है तो इसका दायरा संकुचित हो जाता है क्योंकि लो.प्रति. अधिनियम चुनाव समाप्त होने के बाद प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान करता है। इसी प्रकार का सिद्धांत ऐसे सभी निर्वाचनों में लागू होता है जहां कानून अथवा योजना जो निर्वाचन का उपबंध करती है या उसे विनियमित करती है, स्वयं निर्वाचन विवाद के अधिनिर्णय के लिए एक तंत्र का उपबंध करती है।

54. यह स्थापित कानून है कि वैकल्पिक उपाय का अस्तित्व रिट जारी करने के न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को प्रभावित नहीं करता है और इसके विरुद्ध कोई पूर्ण प्रतिबंध नहीं है। यह कानून के शासन के बजाय नीति, सुविधा और विवेक का नियम है। इस तरह के क्षेत्राधिकार के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि इसका प्रभावी रूप से अर्थ यह होगा कि रिट न्यायालय को भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन प्रदान किए गए उसके अधिकार क्षेत्र से वंचित कर दिया गया है, और इस भूमि की न्यायालयों द्वारा लगातार ऐसी याचिकाएँ रिट पर विचार करने के लिए पूर्ण माना जाता है। न्यायालय असाधारण परिस्थितियों में विवेकाधीन रिट जारी कर सकती है और पहले भी करती रही है, इस तथ्य के बावजूद कि वैधानिक उपचार समाप्त नहीं हुआ है। हालाँकि,

मौजूदा मामले में, यह देखा गया है कि लागू खेल संहिता या एमईजी के अधीन कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय प्रदान नहीं किया गया है। यह कानून में समान मुकदमा से सही है कि उन सभी मामलों में जहां एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व नहीं है, रिट न्यायालय अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य नहीं होती है और फिर भी पक्षकारों को सक्षम न्यायालय के समक्ष सिविल मुकदमा दायर करने के लिए छोड़ सकती है। हालांकि, इस तरह का निर्णय लेने से पहले, रिट न्यायालय अभी भी इस बात की जांच कर सकती है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन पक्षों द्वारा क्या करवाने की कोशिश की जा रही है। यदि रिट कार्यवाही में उठाया गया विवाद किसी भी साक्ष्य को प्रस्तुत किए बिना या गवाहों से जिरह किए बिना निर्णय लेने में सक्षम है, तो रिट याचिका पर अभी भी विचार किया जा सकता है।

55. इस सिद्धांत को मान्यता दी गई है कि अनुच्छेद 226 कि अधिकारिता चुनावी मामलों में वर्जित नहीं है साथ ही इसके केवियट का उपयोग संयम से किए जाने की आवश्यकता है। यह भी देखा जाना चाहिए कि अनुच्छेद 226 के अधीन शक्तियों का उपयोग करते समय न्यायालय को यह ध्यान में रखना होगा कि इस तरह के उपयोग से कोई बाधा या व्यवधान पैदा नहीं हो रहा है या किसी भी तरह से चुनाव प्रक्रिया में विलंब नहीं हो रहा है। एक बार जब यह पाया जाता है कि कोई गलत आचरण अपनाया गया है, तो न्यायालय गलत होने को स्वीकार कर स्वयं को अपमानित नहीं कर सकता। ऐसी किसी भी स्थिति जिसके परिणामस्वरूप चुनाव स्थगित हो जाए है या ऐसी स्थिति पैदा हो जाए जहां चुनाव की शुद्धता ही दांव पर लग जाए, उससे भी बचना चाहिए।

61. बॉम्बे उच्च न्यायालय (औरंगाबाद पीठ) की खंडपीठ ने **सेव मोरेश्व दीना नाथ** (पूर्वोक्त) मामले में कहा है कि यदि संवैधानिक न्यायालय से चुनाव प्रक्रिया पर लगी बाधा को हटाने के लिए कहा जाता है, तो इसे इस बहाने नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है कि चुनाव के शुरू होने के बाद न्यायालय हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इस तरह के तर्क को गलत माना

गया है। उस स्थिति में, मतदान समाप्त होने और मतों की गिनती होने के बाद, चुनाव का परिणाम घोषित करने के बजाय, पूरी बैठक और कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और फिर से मतदान करने का निर्णय लिया गया। हालांकि इस मामले में महाधिवक्ता ने स्वीकार किया कि निगम द्वारा उस तिथि को चुनाव की पूरी कार्यवाही को रद्द करने का प्रस्ताव अनुचित था। हालांकि, उसमें निर्धारित कानून का सिद्धांत महाधिवक्ता की स्वीकृति पर आधारित नहीं था, जैसा कि विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री राव ने तर्क दिया था, लेकिन इसे माननीय उच्चतम न्यायालय के विभिन्न निर्णयों को आधार बनाने के बाद, उसमें चर्चित कानूनी स्थिति के आधार पर प्रतिपादित किया गया है। यह माना गया कि चुनाव कार्यवाही को रद्द करना चुनाव की प्रगति में बाधा के रूप में कार्य करता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मामले में मतदान और गिनती पूरी होने के बाद और परिणाम की अंतिम घोषणा से पहले चुनाव रद्द कर दिया गया था।

62. **सेव मोरेश्वा दीना नाथ** (पूर्वोक्त) में खण्ड पीठ ने याचिकाकर्ता को निर्वाचित महापौर के रूप में निर्देशित किया था। अनुच्छेद संख्या. 67, 68 और 69 का उद्धरण इस प्रकार है-

"67. सुनवाई के दौरान हमारे सामने कई अन्य प्राधिकारियों का हवाला दिया गया और कहा गया कि इस न्यायालय के पास ऐसे मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई क्षेत्राधिकार नहीं है और यह भी कि न्यायालय में निहित विवेक का उपयोग वर्तमान मामले में नहीं किया जाना चाहिए। (के.के. श्रीवास्तव आदि बनाम भूपेन्द्र कुमार जैन),

(1977) 2 एससीसी 494: एआईआर 1977 एससी 1703, मामले में यह माना जाता है कि जहां उचित या समान रूप से प्रभावकारी समाधान मौजूद हो, वहाँ न्यायालय को हस्तक्षेप से दूर रहना चाहिए, विशेषकर जब विवाद चुनाव से संबंधित हो। इसके अतिरिक्त, जहां वैधानिक रूप से निर्धारित उपाय है जिसका स्वरूप लगभग अनिवार्य है। (डी.एल.एफ. हाउसिंग कंस्ट्रक्शन (पी) लिमिटेड बनाम दिल्ली नगर निगम) (1976) 3 एससीसी 160: ए.आई.आर. 1976 एस.सी. 386 में यह माना गया है कि ऐसे मामले में जहां बुनियादी तथ्य विवादित हैं और साक्ष्य के आधार पर कानून और तथ्यों के जटिल प्रश्न शामिल हैं, रिट न्यायालय राहत पाने के लिए उचित मंच नहीं है। (बाभुतमल रायच और ओसवाल बनाम लक्ष्मीबाई आर. टार्टे), (1975) 1 एससीसी 858: ए.आई.आर. 1975 एस.सी. 1297 मामले में उच्चतम न्यायालय ने माना कि तथ्यों की जांच में हस्तक्षेप करने का कोई लाभ नहीं है। (गणपतलाधा बनाम शशिकांत विष्णु शिंदे), ए.आई.आर. 1978 एस.सी. 965 निर्णय में भी यही मत है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 या अनुच्छेद 227 के अधीन तथ्य की खोज में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है लेकिन जिन परिस्थितियों में इस न्यायालय को हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है, उन्हें पहले पैरा में विस्तार से बताया गया है। सच तो यह है कि एक प्रस्ताव के जरिए चुनाव की प्रक्रिया को रोकने की कोशिश की गई और चुनाव की प्रगति को बीच में ही रोक दिया गया और नतीजे घोषित कर इसे संपन्न नहीं होने दिया गया। इस न्यायालय से चुनाव प्रक्रिया पर बाधा को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया गया है। विवाद यह है कि वर्तमान मामले में जब चुनाव गलत तरीके से चल रहा हो तो यह न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा। दरअसल, इस न्यायालय का मकसद चुनाव की प्रगति के रास्ते में आ रही रुकावट को दूर करना है, क्योंकि मतदान खत्म होने और वोटों की गिनती होने के बाद चुनाव के नतीजे घोषित होने के बजाय पूरी बैठक की कार्यवाही रद्द कर दी गई थी जिस बैठक में चुनाव की कार्यवाही हुई थी और पुनर्मतदान किये जाने का निर्णय लिया गया, जिस पर संबंधित कानून के प्रावधानों के अधीन विचार या प्रावधान नहीं किया गया है। विद्वान महाधिवक्ता ने काफी हद तक माना है कि उस तिथि को निगम द्वारा चुनाव की पूरी कार्यवाही को रद्द करने का पारित प्रस्ताव अनुचित और उसमें निहित शक्तियों से

परे था। चुनाव की कार्यवाही को रद्द करना चुनाव की प्रगति में बाधा के रूप में कार्य करता है। चुनाव प्रक्रिया की राह में आ रही बाधा को दूर करने के लिए याचिकाकर्ता ने याचिका दायर की है। यदि चुनाव उस तिथि पर संपन्न हो गया होता और परिणाम की घोषणा करके तार्किक अंत तक ले जाया गया होता तो इस स्तर पर संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप का प्रश्न आवश्यक नहीं होता। लेकिन, इस न्यायालय से हस्तक्षेप करने और बाधा को दूर करने के लिए इसमें निहित विवेक का उपयोग करने के लिए कहा जाता है, जो कि प्रस्ताव पारित करके बनाया गया था, जो निगम में निहित शक्तियों से परे था। अधिकारियों ने हमारे सामने हवाला दिया। इसलिए, वर्तमान मामले के तथ्यों की कोई प्रासंगिकता नहीं है। वास्तव में, हमें संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के रास्ते में आने वाली बाधा को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करने के लिए कहा जाता है, जो केवल परिणाम की घोषणा के साथ समाप्त होती है। भले ही याचिकाकर्ता उस प्रस्ताव का पक्षकार है जिसने पूरी कार्यवाही रद्द कर दी और पुनर्मतदान का संकल्प लिया, याचिका में याचिकाकर्ता ने उन परिस्थितियों को स्पष्ट किया है जिनमें वह प्रस्ताव का पक्षकार है। हमें इन बारीकियों में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी इस बात पर सहमत हैं कि चुनाव की कार्यवाही को रद्द करने वाला प्रस्ताव कानून की दृष्टि से गलत है। लेकिन इस मामले में मतदान और मतगणना पूरी होने तथा परिणाम घोषित होने से पहले ही पार्षदों द्वारा प्रस्ताव पारित कर चुनाव रद्द कर दिया गया। इसे देखते हुए, वास्तव में, वर्तमान याचिका में, हमसे उस तिथि को हुए चुनाव की संपूर्ण प्रगति को पूरा करने के लिए हस्तक्षेप करने का आह्वान किया जा रहा है। चुनाव में बाधा को दूर करने के लिए हस्तक्षेप करना चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने से अलग बात है।

68. विद्वान महाधिवक्ता और अन्य विद्वान अधिवक्ताओं ने यह भी तर्क दिया है कि निर्वाचन याचिका के माध्यम से उक्त अधिनियम की धारा 16 के अधीन एक वैकल्पिक उपाय उपलब्ध है। वर्तमान मामले में, उपाय का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि परिणाम की घोषणा से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। इसके बाद चुनाव को चुनौती देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि प्रस्ताव में ही उक्त अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत पुनर्मतदान का प्रावधान

किया गया था। यदि चुनाव रद्द कर दिया जाता है और परिणाम घोषित करने की अनुमति नहीं दी जाती है, तो चुनाव याचिका के माध्यम से उपचार को पर्याप्त और प्रभावी नहीं कहा जा सकता है।

69. परिणामस्वरूप, इस याचिका को अनुमति दी जाती है और नियम को निरपेक्ष बना दिया जाता है। याचिकाकर्ता को प्रत्यर्थी संख्या 2- औरंगाबाद नगर निगम का महापौर निर्वाचित घोषित किया जाता है। याचिकाकर्ता की महापौर के रूप में घोषणा बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 की धारा 19 के प्रयोजनों के लिए मई 1989 के महीने से मानी जाएगी। जुर्माने हेतु कोई आदेश नहीं।

63. सेव मोरेश्व दीना नाथ (पूर्वोक्त) मामले में तथ्य वर्तमान मामले में प्राप्त तथ्यों के करीब हैं।

64. इस प्रकार देखा जाता है कि कानूनी स्थिति यह है कि यदि किसी मामले के तथ्यों के अधीन न्यायालय संतुष्ट है कि प्रत्यर्थीगण की कार्रवाई से चुनाव प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही है, रुकावट आ रही है और देरी हो रही है, तो भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यायालय यह सुनिश्चित करने के लिए एक रिट याचिका पर विचार कर सकती है कि एक बार शुरू होने के बाद चुनाव बिना किसी अनुचित हस्तक्षेप के अपने तार्किक अंत तक पहुंचना चाहिए।

65. इसलिए इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि चुनाव विवाद के मामले में भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अधीन रिट याचिका पर विचार करने पर कोई रोक नहीं है।

66. यह न्यायालय अब इस मुद्दे पर निर्णय लेगा कि क्या महापौर/आरओ, मतदान और मतों की जांच के बाद, पुनः जांच की कवायद में शामिल हो सकते थे।

67. इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए, डीएमसी अधिनियम, 1957, विनियम, 1958 और 1956 के नियमों की योजना पर इस हद तक विचार करना महत्वपूर्ण है कि वे स्थायी समिति के गठन के लिए लागू हों। यह समझने के लिए लागू कानून की सावधानीपूर्वक जांच की जानी चाहिए कि क्या महापौर/आरओ के पास मतों की गिनती के चरण में मतपत्रों की फिर से जांच करने के निर्देश देने की शक्तियां थीं।

68. डीएमसी अधिनियम, 1957 की योजना इस प्रकार है—डीएमसी अधिनियम, 1957 का अध्याय II निगमों की स्थापना से संबंधित है। धारा 35(1) में प्रावधान है कि एक निगम प्रत्येक वर्ष अपनी पहली बैठक में अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष के रूप में चुनेगा, जिसे मेयर के रूप में जाना जाता है और अन्य सदस्य निगम का उप महापौर होगा। धारा 3 नगर निगम की स्थापना का प्रावधान करती है। धारा 3 की उपधारा 3 तब निगम की संरचना को इंगित करती है।

69. डीएमसी अधिनियम, 1957 की धारा 45 के अनुसार निगम की पहली बैठक में एक स्थायी समिति का गठन किया जाना है जिसमें पार्षद द्वारा आपस में चुने गए छह सदस्य होंगे ।

70. डी.एम.सी. अधिनियम, 1957 की धारा 49 स्थायी समिति के कार्यों से संबंधित है जो अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान करती है कि स्थायी समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसे कार्य करेगी जो 1957 के अधिनियम द्वारा या उसके अधीन उसे विशेष रूप से प्रदान किये गए हैं या सौंपे गए हैं। डीएमसी अधिनियम, 1957 के प्रावधानों पर एक सरसरी नज़र डालने से पता चलता है कि स्थायी समिति को विशेष रूप से धारा 83, 109, 110, 139, 200, 202, 205, 206, 302, 313, 314, 376 और 450 आदि के अधीन विभिन्न शक्तियां और कार्य सौंपे गए हैं। इसमें बजट अनुमानों को अपनाने, संपत्ति के निपटान, अनुबंध करने की प्रक्रिया, नई सार्वजनिक सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई, खाका योजनाएं, धारा 303 के उल्लंघन में बनाई गई सड़कों में बदलाव या संशोधन, मुआवजे का भुगतान करने की सामान्य शक्ति और कानूनी कार्यवाही/कानूनी राय आदि स्थापित करने की शक्ति शामिल है। इसलिए स्थायी समिति एक महत्वपूर्ण वैधानिक समिति है जिसका गठन डीएमसी अधिनियम, 1957 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना आवश्यक है।

71. अब यह मुझे विनियम, 1958 पर विचार करने के लिए बाध्य करता है। विनियम, 1958 का विनियम 51 अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी समिति की सदस्यता के लिए पार्षदों द्वारा अपने बीच से चुने जाने

वाले छह सदस्यों के चुनाव का प्रावधान करता है। विनियम, 1958 का विनियम 51 निम्नानुसार है:

"स्थायी समिति के सदस्य के लिए पार्षदों द्वारा अपने बीच से चुने जाने वाले छह सदस्यों का चुनाव-

51. (1) स्थायी समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को प्रपत्र 2 में एक नामांकन पत्र द्वारा नामित किया जाएगा, जिस पर उम्मीदवार और निगम के दो अन्य सदस्यों द्वारा प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर किए जाएंगे और बैठक की तिथि से कम से कम तीन दिन पहले, जिस दिन चुनाव होना है, इसे नगरपालिका सचिव को पूर्वाह्न ग्यारह बजे से शाम पांच बजे के बीच सौंप दिया जाएगा।

(2) निगम का कोई भी सदस्य भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या से अधिक उम्मीदवारों के नामांकन पत्रों पर प्रस्तावक या अनुमोदक के रूप में हस्ताक्षर नहीं करेगा। इस खंड के उल्लंघन में अभिदत्त हर नामांकन पत्र अमान्य होगा और महापौर द्वारा इसे घोषित किया जाएगा।

(3) बैठक में चुनाव शुरू होने से पहले कोई भी उम्मीदवार किसी भी समय अपनी उम्मीदवारी वापस ले सकता है।

(4) जब वैध नामांकनों की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के बराबर या उससे कम हो, तो महापौर ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों को सदस्यों या स्थायी समिति के सदस्यों के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित करेगा।

(5) जहां नामांकनों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है, वहां चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के अनुसार एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आयोजित किया जाएगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा किया जाएगा।

(6) नगरपालिका सचिव बैठक में निम्न सामग्री उपलब्ध कराएंगे-

(अ) एक मतपेटी;

- (ख) प्रपत्र 3 में निर्धारित मतपत्रों की पर्याप्त संख्या;
- (ग) निगम के सदस्यों द्वारा मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए पर्याप्त सामग्री।
- (7) (क) निगम के प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा।
 (ख) एक सदस्य अपना मत देते हुए-
 (क) अपने मतपत्र पर संख्या 1 उस उम्मीदवार के नाम के सामने रखेगा जिसके लिए वह वोट देता है; और
 (ख) इसके अतिरिक्त, अपनी पसंद के क्रम में अन्य उम्मीदवारों के नामों के सामने रिक्त स्थानों में अपने मतपत्र पर संख्या 2 या संख्या 2 और 3 या संख्या 2,3 और 4 आदि रख सकता है।
- (8) (क) निगम का प्रत्येक सदस्य मतपत्र प्राप्त करने पर मतपत्र दर्ज करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए मतदान डिब्बों में से किसी एक में जाएगा और वहां मतपत्र पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपना मत दर्ज करेगा।
 (ख) इसके बाद सदस्य मतदान कक्ष से निकलने से पहले अपने मतपत्र को मोड़कर रखेगा ताकि वह अपने मत को छिपा सके और मतपत्र को इस तरह मोड़कर महापौर की उपस्थिति में मतपेटी में डाल देगा।
 (ग) प्रत्येक सदस्य अपना वोट दर्ज करेगा और बिना किसी नाजायज देरी के मतदान कक्ष से बाहर निकल जाएगा।
- (9) द्वारा निर्धारित की गई इस अवधि के दौरान वोट डालने के लिए मतपेटी खुली रहेगी।
- (10) (क) जैसे ही वोट डालने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाएगी, महापौर
 (i) मतपेटिका खोलेंगे और उसमें रखे मतपत्रों को निकालेंगे।
 (ii) निकाले गए मतपत्रों की संख्या गिनेंगे या गिनवाएं और इस संख्या को लिखित में दर्ज करेंगे;
 (iii) मतपत्रों की जांच करेंगे और जिन मतपत्रों को वह वैध मानते हैं उन मतपत्रों को उन मतपत्रों से अलग कर देंगे जिन्हें वह अवैध

मानते हुए अस्वीकार करते हैं और उस पर "अस्वीकृत" शब्द और ऐसी अस्वीकृति का आधार अंकित करेंगे।

(iv) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली प्राथमिकता के अनुसार वैध मतपत्रों को पार्सल में व्यवस्थित करेंगे;

(v) बैठक में ऐसे सदस्यों की उपस्थिति में वोटों की गिनती की जाएगी जो इस संबंध में महापौर द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति की सहायता से उपस्थित हो सकते हैं।

(ख) लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचन और निर्वाचन याचिकाएं) नियम, 1956 के नियम 115, नियम 116 के नियम 115, उपनियम (1), नियम 121 से 127 और लोक प्रतिनिधित्व (निर्वाचनों का संचालन और निर्वाचन याचिकाएं) नियम, 1956 के नियम 129 के उपबंध, जहां तक संभव हो, स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन में मतों की गणना के संबंध में लागू होंगे क्योंकि वे परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में निर्वाचनों में मतों की गणना के संबंध में इस संशोधन के साथ लागू होते हैं कि उन प्रावधानों में "रिटर्निंग ऑफिसर" को "मेयर" माना जाएगा।

(11) मतों की गिनती पूरी होने पर, महापौर प्रपत्र 4 में एक विवरणी तैयार और प्रमाणित करेंगे, जिसमें कहा गया है-

(क) उन उम्मीदवारों के नाम जिनको वैध मत दिए गए हैं।

(ख) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वैध मतों की संख्या;

(ग) अमान्य घोषित और अस्वीकृत मतों की संख्या; और

(घ) निर्वाचित घोषित व्यक्तियों के नाम।

(12) नगरपालिका सचिव द्वारा चुनाव की तिथि से तीन महीने तक मतपत्रों को रखा जाएगा और उसके बाद वह उन्हें नष्ट किया कर सकता है।

72. विनियम, 1958 के विनियम 51 की योजना के अनुसार स्थायी समिति के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को उसके

लिए निर्धारित समय के अंदर अपना नामांकन नगर सचिव को निर्धारित प्रारूप में जमा करना आवश्यक है।

73. विनियम, 1958 के विनियम 51(4) के अधीन, यदि वैध नामांकन की संख्या निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या के समान या उससे कम है, महापौर /आरओ ऐसे उम्मीदवार या उम्मीदवारों को स्थायी समिति के सदस्य या सदस्यों के रूप में विधिवत निर्वाचित घोषित करेंगे। हालांकि, विनियम, 1958 के विनियम 51(5) के अनुसार, जहां नामांकन की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक है, वहाँ चुनाव एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगा और ऐसे चुनाव में मतदान गुप्त मतदान द्वारा होगा। नगरपालिका सचिव को एक मतपेटी, फॉर्म-III में निर्धारित पर्याप्त संख्या में मतपत्र और निगम के सदस्यों का चुनाव कराने के उद्देश्य से हो रही बैठक में स्थायी समिति के सदस्यों द्वारा मतपत्रों को चिह्नित करने के लिए पर्याप्त सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता है।

74. विनियम 1958 के विनियम 51(7) के अनुसार, निगम के प्रत्येक सदस्य के पास केवल एक वोट होगा। किसी सदस्य को अपना वोट देते समय अपने मतपत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने वाले स्थान पर संख्या 1 डालना होगा जिसे वह वोट देना चाहता है और इसके अतिरिक्त, वह अपने मतपत्र पर संख्या 2 या संख्या 2 और 3 भी या उसकी

प्राथमिकता के क्रम में अन्य उम्मीदवारों के नाम के सामने स्थानों में संख्या 2, 3 और 4 इत्यादि डाल सकता है।

75. विनियम, 1958 के विनियम 51(8) में यह भी संकेत दिया जाएगा कि निगम का प्रत्येक सदस्य, मतपत्र प्राप्त करने पर, वोट दर्ज करने के उद्देश्य से प्रदान किए गए मतदान कक्षों में से एक में जाएगा और वहां मतपत्र पर दिए गए निर्देशों के अनुसार अपने वोट दर्ज करेगा। इसमें वोट की गोपनीयता बनाए रखने और बिना किसी नाजायज देरी के मतदान कक्ष से बाहर निकलने की भी आवश्यकता होती है।

76. नामांकन पत्र की जांच के चरण में सबसे पहले महापौर/आरओ की भूमिका निभाई जाएगी (विनियम, 1958 का विनियमन 51(2) और दूसरा मतपत्र को मतपेटी में डालने के चरण में (विनियम, 1958 का विनियम 51(8)(बी) में । इसके बाद महापौर/आरओ को विनियम, 1958 के विनियम 51(10)(क)(i) के अनुसार मतपेटी को खोलना होगा और उसमें मौजूद मतपत्रों को बाहर निकालना होगा और निकाले गए मतपत्रों की संख्या की गणना करनी होगी या इसकी गिनती करवानी होगी और ऐसी संख्याओं को लिखित में दर्ज करना होगा।

77. मेयर/आरओ को तब मतपत्रों की जांच करनी होती है और उन मतपत्रों को अलग करना होगा जिन्हें वह वैध मानते हैं और उन मतपत्रों को अलग करना होगा जिन्हें वह अमान्य मानते हैं और साथ ही में उन

पर 'अस्वीकृत' और अस्वीकृति का आधार अनुलेखित करना होगा। फिर मेयर/आरओ को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली प्राथमिकताओं के अनुसार वैध मतपत्रों को पार्सल के रूप में व्यवस्थित करना होगा और फिर बैठक में ऐसे सदस्यों की उपस्थिति में वोटों की गिनती की जाएगी जो मेयर/आरओ द्वारा इस संबंध में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की सहायता से उपस्थित हो सकते हैं।

78. इस स्तर पर आवश्यक है कि विनियम, 1958 के विनियम 51 (10) (बी) के लिए 1956 के नियम स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतों की गिनती के संबंध में जहां तक लागू होते हैं, लागू होंगे क्योंकि वे परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव में मतों की गिनती के संबंध में लागू होते हैं, बशर्ते कि उन प्रावधानों में 'निर्वाचन अधिकारी' की सभी अभिव्यक्तियों को महापौर माना जाएगा।

79. स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के साथ होना चाहिए। निगमन के माध्यम से नियम, 1956 को मतों की गिनती के संबंध में लागू किया गया है। अतः, नियम 1956 के नियम 115, 116 (1), 121 से 127 और 129 स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतों की गिनती के संबंध में पूर्ण रूप से लागू होंगे।

80. विनियम, 1958 का विनियम 51 (11), जो प्रपत्र-IV में विवरणी तैयार करने और प्रमाणित करने का प्रावधान करता है, विनियम, 1958 के विनियम 51 (10) (बी) के अधीन परिकल्पित मतों की गिनती के बाद लागू होगा।

81. इस न्यायालय को अब नियम, 1956 की योजना और विशेष रूप से नियम, 1956 के नियम 115,116 (1), 121 से 127 और 129 पर विचार करना चाहिए, क्योंकि वे मतों की गिनती के संबंध में लागू होते हैं।

82. 1956 के नियमों के नियम 115,116 (1), 121 से 127 और 129 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है-

"115. परिभाषाएँ - इस अध्याय में-

(1) 'निरंतर उम्मीदवार' अभिव्यक्ति का अर्थ ऐसा कोई भी उम्मीदवार है जो निर्वाचित नहीं हुआ है और किसी भी समय मतदान की प्रक्रिया से बाहर नहीं किया गया है;

(2) 'पहली वरीयता' अभिव्यक्ति का अर्थ है अंक 1, 'दूसरी वरीयता' अभिव्यक्ति का अर्थ है अंक 2 और 'तीसरी वरीयता' अभिव्यक्ति का अर्थ है अंक 3, जो किसी उम्मीदवार के नाम के सामने लिखा जा सकता है और इसी प्रकार;

(3) 'अविरत कागज' अभिव्यक्ति का अर्थ किसी ऐसे मतपत्र से है जिस पर एक निरंतर उम्मीदवार के लिए आगे की वरीयता दर्ज की जाती है;

(4) 'निःशेषित पत्र' पद का अर्थ है एक मतपत्र जिस पर एक निरंतर उम्मीदवार के लिए कोई और वरीयता दर्ज नहीं की जाती है, बशर्ते कि पत्र को हर एक ऐसे मामले में निःशेषित माना जाएगा जिसमें -

(क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम, चाहे वो प्रक्रिया में बने रहें हो या नहीं, एक ही अंक के साथ चिह्नित हैं और वरीयता के क्रम में अगले हैं; या

(ख) वरीयता के क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे वो प्रक्रिया में बने रहें हों या नहीं, मतपत्र पर किसी अन्य अंक के बाद लगातार न आने वाले अंक से या दो या दो से अधिक अंकों से चिह्नित किया जाता है;

(5) किसी भी उम्मीदवार के संबंध में "मूल मत" अभिव्यक्ति का अर्थ है मतपत्र से प्राप्त वोट जिस पर किसी उम्मीदवार की पहली वरीयता दर्ज की जाती है;"

(6) किसी भी उम्मीदवार के संबंध में 'हस्तांतरित मत' पद का अर्थ है एक ऐसा मत जिसका मान या मान का हिस्सा ऐसे उम्मीदवार को जमा किया जाता है और जो एक मतपत्र से प्राप्त होता है जिस पर ऐसे उम्मीदवार के लिए दूसरी या बाद की वरीयता दर्ज की जाती है;

(7) 'अधिशेष' पद का अर्थ है वह संख्या जिसके द्वारा किसी भी उम्मीदवार के मूल और हस्तांतरित मतों का मान कोटा से अधिक है; और

(8) 'गिनती' अभिव्यक्ति का अर्थ है-

(क) उम्मीदवारों के लिए दर्ज की गई पहली प्राथमिकताओं की गिनती में शामिल सभी कार्य; या

(ख) किसी निर्वाचित उम्मीदवार के अधिशेष के हस्तांतरण में शामिल सभी कार्य; या

(ग) एक बहिष्कृत उम्मीदवार के मतों के कुल मान के हस्तांतरण में शामिल सभी कार्य।

116. मतपत्रों को अमान्य घोषित करने के लिए आधार। (1) ऐसा मतपत्र अमान्य होगा जिस पर-

(क) अंक 1 चिह्नित नहीं है; या

(ख) अंक 1 एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने लिखा गया है या इस प्रकार लिखा गया है कि यह स्पष्ट न हो कि इसे किस उम्मीदवार के लिए लिखा गया है; या

(ग) अंक 1 और कुछ अन्य अंक एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने लिखे गए हैं; या

(घ) कोई चिह्न बनाया जाता है जिसके द्वारा बाद में निर्वाचक की पहचान की जा सकती है; या

(ङ) यदि यह एक डाक मतपत्र है, तो मतदाता के हस्ताक्षर विधिवत सत्यापित नहीं हैं।

.....

121. **मतों की गिनती** -(1) रिटर्निंग अधिकारी प्रत्येक पार्सल में कागजातों की संख्या की गणना करेगा और उन कागजात का मान संबंधित उम्मीदवारों को देगा।

(2) रिटर्निंग अधिकारी वैध कागजातों की कुल संख्या का भी पता लगाएगा और उसे दर्ज करेगा।

(3) नियम 122 से 127 में निर्धारित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, प्रत्येक वैध मतपत्र का मूल्य एक सौ माना जाएगा।

(4) नियम 122 से 127 के प्रावधानों को लागू करने में रिटर्निंग अधिकारी सभी अंशों को अनदेखी करेगा और पहले से निर्वाचित या मतदान से बाहर किए गए उम्मीदवारों के लिए दर्ज की गई सभी वरीयता की अनदेखी करेगा।

122. **कोटा की पुष्टि**- (1) रिटर्निंग अधिकारी सभी पार्सलों में कागजातों की संख्या को एक साथ जोड़ देगा और कुल संख्या को उस संख्या से विभाजित करेगा जो भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या से एक से अधिक है।

(2) इस प्रकार प्राप्त भागफल में एक की वृद्धि की जाएगी, जो किसी उम्मीदवार की वापसी को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त संख्या होगी, जिसे इसके बाद 'कोटा' कहा जाएगा।

123. **कोटा द्वारा चुने गए उम्मीदवार**- यदि किसी गिनती के अंत में या किसी बहिष्कृत उम्मीदवार के किसी पार्सल या उप-पार्सल के हस्तांतरण के अंत में किसी उम्मीदवार को जमा किए गए मतपत्रों का मान कोटा के बराबर या उससे अधिक है, तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

124. **अधिशेष का हस्तांतरण**- (1) यदि किसी भी गणना के अंत में किसी उम्मीदवार को जमा किए गए मतपत्रों का मान कोटा से अधिक है, तो अधिशेष को उस उम्मीदवार के मतपत्रों पर इंगित किए गए निरंतर उम्मीदवारों को इस नियम के प्रावधानों के अनुसार निर्वाचक की वरीयता के आदेश में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(2) यदि एक से अधिक उम्मीदवारों के पास अधिशेष है, तो सबसे बड़े अधिशेष को पहले और अन्य को परिमाण के क्रम में निपटाया जाएगा; बशर्ते कि मतों की पहली गिनती पर मिलने वाले प्रत्येक अधिशेष को दूसरी गिनती आदि पर मिलने वाले मतों के समक्ष निपटाया जाए।

(3) जहाँ वितरित करने के लिए एक से अधिक अधिशेष हैं और दो या दो से अधिक अधिशेष समान हैं, वहाँ प्रत्येक उम्मीदवार के मूल मतों को ध्यान में रखा जाएगा और जिस उम्मीदवार के लिए सबसे अधिक मूल मत दर्ज किए गए हैं, उसका अधिशेष पहले वितरित किया जाएगा; और यदि उनके मूल मतों का मान समान है, तो निर्वाचन अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि किस उम्मीदवार का अधिशेष पहले वितरित किया जाएगा।

(4) (क) यदि स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार का अधिशेष केवल मूल मतों से निकलता है, तो निर्वाचन अधिकारी उस उम्मीदवार के पार्सल में सभी कागजातों की जांच करेगा, अप्रयुक्त कागजातों को उस पर दर्ज अगली वरीयता के अनुसार उप-पार्सल में विभाजित करेगा और समाप्त हो चुके कागजातों का एक अलग उप-पार्सल बनाएगा।

(ख) वह प्रत्येक उप-पार्सल में और सभी अप्रयुक्त कागजातों के मान का पता लगाएगा,

(ग) यदि अप्रयुक्त कागजातों का मान अधिशेष के बराबर या उससे कम है, तो वह सभी अप्रयुक्त कागजातों को उस मान पर हस्तांतरित करेगा जिस पर वे उस उम्मीदवार द्वारा प्राप्त किए गए थे, जिसके अधिशेष को हस्तांतरित किया जा रहा है।

(घ) यदि अप्रयुक्त कागजातों का मान अधिशेष से अधिक है, तो वह अप्रयुक्त कागजातों के उप-भागों को हस्तांतरित करेगा, और जिस मान पर प्रत्येक पेपर स्थानांतरित किया जाएगा, वह अधिशेष को समाप्त हो चुके कागजातों की कुल संख्या से विभाजित करके निर्धारित किया जाएगा।

(5) यदि स्थानांतरित किए जाने वाले किसी भी उम्मीदवार का अधिशेष हस्तांतरण के साथ-साथ मूल मतों से निकलता है, तो निर्वाचन अधिकारी उम्मीदवार को अंतिम बार हस्तांतरित किए गए उप-पर्चे में सभी कागजातों की फिर से जांच करेगा, अप्रयुक्त कागजातों को उप-पार्सल में विभाजित करेगा, अप्रयुक्त कागजातों को उन पर दर्ज की गई अगली वरीयता के अनुसार उप-पार्सल में विभाजित करेगा, और फिर उप-पार्सल से उसी प्रकार निपटेगा जैसा कि उप-नियम (4) में निर्दिष्ट उप-पार्सल के संबंध में निर्धारित किया गया है।

(6) प्रत्येक उम्मीदवार को हस्तांतरित किए गए कागजातों को ऐसे उम्मीदवार के पहले से संबंधित कागजातों में एक उप-पार्सल के रूप में जोड़ा जाएगा।

(7) इस नियम के अधीन स्थानांतरित नहीं किए गए निर्वाचित उम्मीदवार के पार्सल या उप-पार्सल में सभी कागजात अंत में निपटाया मान कर अलग कर दिए जाएंगे।

125. चुनाव में सबसे कम उम्मीदवारों को बाहर किया जाना— (1) यदि सभी अधिशेषों को पहले दिए गए प्रावधान के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया है, तो निर्वाचित उम्मीदवारों की संख्या आवश्यक संख्या से कम है, तो निर्वाचन अधिकारी मतदान में सबसे कम उम्मीदवार को मतदान से बाहर कर देगा और वितरित करेगा: जारी उम्मीदवारों के बीच उसके अप्रचलित कागजात उस पर दर्ज अगली प्राथमिकताओं के अनुसार; और किसी भी प्रयुक्त कागजात को अंत में निपटाया मान कर अलग कर दिया जाएगा।

(2) बहिष्कृत उम्मीदवार के मूल मतों वाले कागजात पहले स्थानांतरित किए जाएंगे, प्रत्येक पेपर का हस्तांतरण मान एक सौ होगा।

(3) एक बहिष्कृत उम्मीदवार के हस्तांतरित मतों वाले कागजात तब स्थानांतरण के क्रम में स्थानांतरित किए जाएंगे, जिसमें और जिस मान पर उन्होंने उन्हें प्राप्त किया था।

(4) ऐसे प्रत्येक हस्तांतरण को एक अलग हस्तांतरण माना जाएगा, लेकिन एक अलग गणना नहीं।

(5) इस नियम द्वारा निर्देशित प्रक्रिया को चुनाव में सबसे कम उम्मीदवारों में से एक के बाद एक क्रमिक बहिष्करण पर दोहराया जाएगा जब तक कि ऐसी रिक्ति कोटा के साथ या इसके बाद प्रदान किए गए उम्मीदवार के चुनाव द्वारा भरी नहीं जाता है।

(6) यदि कभी किसी उम्मीदवार को बाहर करना आवश्यक हो जाए और दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के वोटों का मान समान हो और मतदान में सबसे कम हो तो प्रत्येक उम्मीदवार के मूल वोटों पर ध्यान दिया जाएगा और जिस उम्मीदवार के लिए सबसे कम मूल वोट दर्ज किए गए हैं उन्हें पहले बाहर किया जाएगा; और यदि उनके मूल वोटों का मान बराबर है, तो प्रारंभिक गणना में सबसे छोटे मान

वाले उम्मीदवार, जिस पर इन उम्मीदवारों के असमान मान थे, को पहले बाहर रखा जाएगा।

(7) यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार मतदान में सबसे नीचे हैं और प्रत्येक का सभी गणनाओं में वोटों का समान मान है, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि किस उम्मीदवार को पहले बाहर रखा जाएगा।

126. **स्थानांतरण कब बंद किया जाए-** यदि कागजातों के हस्तांतरण के परिणामस्वरूप, किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों का मान कोटा की गिनती के बराबर या उससे अधिक है, तो कार्यवाही पूरी की जाएगी, लेकिन आगे कोई कागजात उसे हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

127. **अंतिम रिक्तियों को भरना-** (1) जब किसी भी गिनती के अंत में जारी उम्मीदवारों की संख्या कम हो जाती है और रिक्त पदों की संख्या कम हो जाती है, तो जारी उम्मीदवारों को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(2) जब किसी गणना के अंत में केवल एक रिक्ति खाली रहती है और किसी एक उम्मीदवार के कागजात का मान अन्य सभी जारी उम्मीदवारों के कुल मान से अधिक हो जाता है और कोई अधिशेष हस्तांतरित नहीं किया जाता है, तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(3) जब किसी भी गिनती के अंत में केवल एक रिक्ति खाली रहती है और केवल दो उम्मीदवार बने रहते हैं और उनमें से प्रत्येक के पास मतों का समान मान होता है और कोई अधिशेष हस्तांतरण करने में सक्षम नहीं रहता है, तो रिटर्निंग अधिकारी लॉट द्वारा तय करेगा कि उनमें से किसे पहले बाहर रखा जाएगा और उपरोक्त तरीके से उम्मीदवारों में से एक को बाहर करने के बाद दूसरे उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

129. **इस अध्याय के अंतर्गत मतों की गिनती के बारे में प्रक्रिया का चित्रण-** इस अध्याय के प्रावधानों के अनुसार मतों की गिनती के बारे में प्रक्रिया का एक चित्रण अनुसूची II में दिया गया है।

83. मौजूदा मामले में, माना जाता है कि नियम, 1956 के नियम 122 के अनुसार, महापौर/आरओ ने एक उम्मीदवार की वापसी सुनिश्चित करने

के लिए 3458 को पर्याप्त कोटा के रूप में निर्धारित किया। नियम 121 में, यह निर्धारित किया गया है कि महापौर/आरओ को प्रत्येक पार्सल में कागजातों की संख्या गिननी होगी और उन कागजातों का मान संबंधित उम्मीदवारों को देना होगा। महापौर/आरओ को मतपत्रों की कुल संख्या का पता लगाना और अभिलेखित करना होता है और नियम 122 से 127 में निर्धारित प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से प्रत्येक वैध मतपत्र का मान 100 माना जाएगा।

84. इस प्रकार यह देखा जाता है कि तत्काल मामले में, 3458 के कोटे का निर्धारण नियम 121 के उप नियम 3 के अनुसार 242 वैध मतपत्रों को 100 से गुणा करते हुए किया जाता है, इसे एक से विभाजित करते हुए, भरे जाने वाले रिक्तियों की संख्या से अधिक यानी $6 + 1 = 7$ (नियम 122 (1) के अनुसार) और फिर एक की वृद्धि करते हुए, प्राप्त भागफल एक उम्मीदवार की वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या बन जाता है। इसे गणितीय प्रारूप में रखें। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है-
 $242 \times 100/7 - 3457 + 1 = 3458$

85. यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि विनियम, 1958 के विनियम 51 के उप-विनियम 10 (ए) के अधीन, मतपेटिका खोलने और मतपत्रों को डिब्बों से बाहर निकालने के बाद, मतपत्रों की गिनती की जानी है और इसे लिखित में दर्ज किया जाना है। इसके बाद, जांच पर विचार किया जाता है

जिसमें वैध मतपत्र को अवैध मतपत्र से अलग करना, मतपत्र को खारिज करना और ऐसी अस्वीकृति का आधार बताना शामिल है। इसके बाद, वैध मतपत्रों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली वरीयता के अनुसार पार्सल में व्यवस्थित किया जाता है। फिर उपस्थित सदस्यों की मौजूदगी में बैठक में मतों की गिनती, ऐसे व्यक्तियों की सहायता से की जाएगी, जिन्हें महापौर/आरओ द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।

86. उम्मीदवार को कैसे चुना जाएगा, इस बारे में नियम, 1956 के नियम 123 के अधीन यह निर्धारित किया गया है कि यदि किसी गिनती के अंत में या किसी बहिष्कृत उम्मीदवार के किसी पार्सल या उप-पार्सल के हस्तांतरण के अंत में, किसी उम्मीदवार को जमा किए गए मतपत्र का मान कोटे के बराबर या उससे अधिक है, तो उस उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित कर दिया जाएगा।

87. मौजूदा मामले में, निर्धारित कोटा 3458 था और बैठक में वोटों की गिनती शुरू होने के बाद, पांच उम्मीदवारों ने स्वीकार किया कि उन्होंने 3458 का कोटा हासिल कर लिया है। उक्त पहलू पर किसी भी पक्ष ने विवाद नहीं किया है।

88. विवाद केवल उम्मीदवार संख्या 6 से सम्बंधित है जो महापौर/आरओ के अनुसार आप से संबंधित सुश्री सारिका चौधरी हैं और याचिकाकर्ताओं के अनुसार भाजपा से संबंधित श्री पंकज लूथरा हैं।

89. महापौर/आरओ के नोट के अनुसार किसी मतपत्र को अवैध घोषित किये जाने पर आपत्ति थी। आपत्ति का कारण उक्त मतपत्र में एक उम्मीदवार को वरीयता क्रमांक 1 तथा दो उम्मीदवारों को वरीयता क्रमांक 2 अंकित होना था। तर्क दिया गया कि यह मतपत्र के निर्देश संख्या 5 का उल्लंघन था और विनियम, 1958 के विनियम 51 के उप-विनियम 8(क) के साथ पढ़ने पर उक्त मतपत्र को वैध नहीं माना जा सकता है।

90. देखा गया है कि मौजूदा मामले में, परिणाम घोषित नहीं करने का पूर्ण कारण यह है कि गिनती के चरण में किसी मतपत्र में आपत्ति मिली थी। नगरपालिका सचिव ने एक परिणाम पत्रक तैयार करने का दावा किया है, जिसमें विवादित मतपत्र की पहली वरीयता श्री पंकज लूथरा के पक्ष में गिनी गई थी। नगरपालिका सचिव के नोट के अनुसार, वरीयता उक्त उम्मीदवार के पक्ष में एक के रूप में दी गई थी और दो उम्मीदवारों के लिए वरीयता दो व्यक्त की गई थी। इसलिए, नगरपालिका सचिव के अनुसार वरीयता संख्या 1 निस्संदेह और स्पष्ट रूप से श्री पंकज लूथरा के पक्ष में थी।

91. उक्त नोट पर महापौर/आरओ द्वारा इस आधार पर विवाद किया गया है कि विनियम, 1958 के विनियम 51 के उप-विनियम 10 (क) के अनुसार, मतपत्र में निर्धारित निर्देश अनिवार्य हैं और मतपत्र में इस आशय

का एक विशेष निर्देश था कि मतदाता को एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने एक ही अंक नहीं लिखना है और इसलिए वह अमान्य था।

92. महापौर/आरओ अन्य आधारों के अलावा समेकित जवाबी-शपथ-पत्र के साथ दायर किए गए दिनांक 24.02.2023 के नोट में उनके द्वारा दर्ज किए गए कारणों के लिए फिर से मतदान के उनके निर्णय का समर्थन करते हैं, जो कि निम्नलिखित है-

"चुनाव और मतगणना की प्रक्रिया एक साफ-सुथरी प्रक्रिया मानी जाती है जो न केवल स्वतंत्र और निष्पक्ष है बल्कि स्वतंत्र और निष्पक्ष दिखनी भी चाहिए, लेकिन आज की चुनाव प्रक्रिया पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी नहीं हो सकी है। चुनाव में एक मतपत्र को अमान्य घोषित करने के विरुद्ध आपत्तियां थीं। उक्त मतपत्र में अंकन 1-2-2 था और मतपत्र पर अंकन के लिए मूल निर्देश के अनुसार अनुमत वरीयताएँ 1-2-3 थी। अंकन अनुमत निर्देश के विरुद्ध थे इसलिए यह एक अमान्य मतपत्र था। बाद में कुछ मतपत्रों को आपत्ति जताने के कारण अमान्य घोषित कर दिया गया। जैसा कि एक मतपत्र फटा हुआ था और अन्य मतपत्र पर जिस स्थान पर वरीयताएँ चिह्नित की जानी थी वहाँ लिप्तलेखन था।

नगरपालिका सचिव ने मेरे निर्देश की अवहेलना करते हुए अपने विवेक से मतपत्रों की वैधता तय करने के लिए महापौर के लिए काम करने के बजाय विभिन्न उम्मीदवारों को मिले वोटों के लिए एक गणना पत्र थोपने की कोशिश की। मैंने पाया कि उन गणनाओं में हेरफेर किया गया था और वे उचित परिणाम का अनुमान नहीं लगा रहे थे। इसके आधार पर फिर से गिनती की कई बार मांग की गई, मतों की फिर से गिनती करने के मेरे कई निर्देशों के बावजूद, संप्रदाय ने मेरे निर्देशों का पालन नहीं किया, मैंने परिश्रम से बाद में फिर से गणना की। मैंने निर्वाचित सदस्यों के नामों के साथ मतों की अंतिम गणना की घोषणा करना शुरू कर दिया। इस दौरान बीजेपी सलाहकारों

ने मुझे पर हमला किया, मुझे महापौर की सीट से बाहर खींच लिया और मुझे किसी तरह बी.जे.पी. सलाहकारों के हमले से बचना पड़ा। बी.जे.पी. सलाहकारों ने चुनाव प्रक्रिया से संबंधित पेपर को भी लूट लिया। मेरा मानना है कि अब घोषित होने वाले किसी भी परिणाम में कानूनी और नैतिक निष्ठा की कमी होगी। इसलिए मैंने सदन में अधूरी चुनाव प्रक्रिया को अमान्य घोषित कर दिया है।

इसके अलावा डीएमसी (व्यवसाय संचालन की प्रक्रिया) विनियम 1958 भाग 3, धारा 51 उप-धारा 10क (3) के अनुसार यह महापौर का काम है कि वह मतपत्रों की जांच करें और उन मतपत्रों का पुनर्मूल्यांकन करे, जिसे वह अमान्य बताकर अस्वीकार करे और उस पर 'अस्वीकार' शब्द और अस्वीकृति का आधार लिखे

V) बैठक में ऐसे सदस्यों की उपस्थिति में मतों की गणना करें जो इस संबंध में महापौर द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के साथ उपस्थित हो सकते हैं।

11) मतों की गिनती के संकलन पर महापौर फॉर्म-4 में एक विवरणी तैयार करेगा और निम्न प्रमाणित करेगा

- (i) उन उम्मीदवारों के नाम जिन्हें वैध वोट दिए गए हैं
- (ii) प्रत्येक उम्मीदवार को दिए गए वैध मतों की संख्या
- (iii) अमान्य और अस्वीकृत घोषित मतों की संख्या और
- (iv) निर्वाचित घोषित किए गए व्यक्तियों की संख्या

यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि मेरे द्वारा की गई नई गणना के अनुसार, निर्वाचित सदस्यों के परिणाम इस प्रकार हैं -

1. सुश्री. मोहिनी (आप)
2. श्री. मोहम्मद आमिल मलिक (आप)
3. सुश्री. रविंदर कौर (आप)
4. श्री. गर्जेद्र सिंह दराल (आई.एन.डी.)
5. सुश्री कमल जीत सहरावत (भाजपा)
6. सुश्री सारिका चौधरी (आप)

हालाँकि इससे पहले कि मैं सभी निर्वाचित उम्मीदवारों के नाम घोषित कर पाता, सदन में मुझ पर हमला किया गया और मुझे अपने जीवन बचाने के लिए भागना पड़ा। हमले को कई मीडिया/टीवी चैनलों द्वारा अच्छी तरह से रिकॉर्ड किया गया है। हमले के दौरान बी.जे.पी. सलाहकारों ने वहां पड़े मतपत्र, गणना पत्र और अन्य कागज लूट लिए।

मैं उपरोक्त की शपथ लेता हूँ कि मेरे पास चुनाव को अमान्य घोषित करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। इसके बाद मैंने 27 फरवरी 2023 को 11:00 बजे स्थायी समिति के 6 सदस्यों के लिए नए सिरे से चुनाव कराने की घोषणा की है।

इसमें यह जोड़ना अनुचित नहीं होगा कि श्री भगवान सिंह नगरपालिका सचिव ने पक्षपातपूर्ण तरीके से काम किया, उन्होंने चुनाव की पूरी प्रक्रिया को अमान्य घोषित करने के लिए पुनः गिनती करने के मेरे बार-बार दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया।

इसलिए अनुरोध है कि मेरे परामर्श से यथाशीघ्र 27/02/23 को नये चुनाव की व्यवस्था करें।

93. प्रत्यर्थी संख्या.4/महापौर/निर्वाचन अधिकारी पैरा संख्या 27 और 28

में अपने समेकित जवाबी शपथ पत्र में निम्नलिखित रवैया अपनाते हैं-

"27. निवेदन किया जाता है कि प्रत्यर्थी द्वारा कई निर्देश जारी किए जाने के बावजूद पुनः गिनती नहीं की जा सकी। इसलिए, प्रत्यर्थी ने नियमों के अनुसार स्वयं मतपत्रों की जांच की और मतपत्रों/मतपत्रों को वैध/अमान्य के रूप में चिह्नित किया। इसके अलावा, उक्त आधार पर, प्रत्यर्थी ने नियमों के अनुसार नई गणना करने पर लगन से ध्यान केंद्रित किया। यहां यह उल्लेखनीय है कि उत्तर देने वाले प्रत्यर्थी द्वारा की गई उपरोक्त गणना के अनुसार, निर्वाचित सदस्यों के परिणाम इस प्रकार हैं:

(1) सुश्री.मोहिनी (आप)

(2) श्री.मोहम्मद आमिल मलिक (आप)

- (3) सुश्री. रमिंदर कौर (आप)
- (4) श्री. गजेंद्र सिंह दराल (निर्दलीय)
- (5) सुश्री. कमलजीत सहरावत (भाजपा)
- (6) सुश्री. सारिका चौधरी (आप)

28. नगरपालिका सचिव ने बिना किसी प्राधिकरण या शक्ति के अपने दुर्भावना-पूर्ण इरादों के कारण एक दिनांक 24.02.2020 का नोट में प्रसारित किया। इस प्रकार (06) स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए आयोजित पुनः मतदान/पुनर्निर्वाचन के परिणाम की घोषणा निम्नानुसार की जाती है-

- (i) सुश्री. मोहिनी (आप)
- (ii) श्री मोहम्मद आमिर मलिक (आप)
- (iii) सुश्री रमिंदर कौर (आप)
- (iv) श्री गजेंद्र सिंह दराल (निर्दलीय)
- (v) सुश्री कमल जीत सेहरावत (भाजपा)
- (vi) श्री पंकज लूथरा (भाजपा)

यहां यह उल्लेख करना उचित है कि नगर निगम सचिव ने अपने दुर्भावनापूर्ण इरादों के कारण नियमों के उलट और बिना किसी वैधानिक शक्ति के कार्य करते हुए कहा कि तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कोई भी वोट अमान्य नहीं पाया गया था और फिर से गिनती करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। नगरपालिका सचिव द्वारा आगे यह स्वीकार किया गया कि उन्हें मतों की पुनः गणना करने और माननीय महापौर द्वारा एक नया परिणाम पत्रक तैयार करने के लिए कहा गया था। हालांकि, उन्होंने उक्त निर्देशों का पालन नहीं किया।"

94. उम्मीदवार सं.6, अर्थात्, सुश्री सारिका चौधरी (आप) को महापौर/आरओ द्वारा की गई गणना के अनुसार शामिल किये जाने का कारण दो उम्मीदवारों के नामों के सामने प्राथमिकता का एक आंकड़ा दिए जाने के कारण किसी मतपत्र की अस्वीकृति है। यदि ऐसा नहीं होता, तो

नगरपालिका सचिव द्वारा तैयार गणना पत्रक पर विवाद करने का कोई कारण नहीं है, जिसमें निर्वाचित उम्मीदवार सं.6 श्री पंकज लूथरा (भाजपा) हैं। उक्त मतपत्र को क्यों अस्वीकार किया जाना है, यह महापौर/आरओ द्वारा पैराग्राफ संख्या 26 में समझाया गया है, जो नीचे दिया गया है:

"26. विनियम, 1958 के विनियम 51(10) (क-iii) के अनुसार केवल महापौर/आरओ अधिकारी को मतपत्र की वैधता/अमान्यता निर्धारित करने का अधिकार मिलता है। इस प्रकार, प्रत्यर्थी सं. 4 किसी मतपत्र को अमान्य मानने के क्षेत्राधिकार के भीतर था क्योंकि प्राथमिकता का एक ही आंकड़ा एक से अधिक उम्मीदवारों के नामों के सामने रखा गया था। इस प्रकार विनियमन 51 (10) (ए-iii) के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 4 किसी भी वोट को अवैध घोषित करने के अंतिम प्राधिकारी है। आगे यह निवेदन किया गया है कि विनियमन 51 (10) (क -iv) के अनुसार केवल वैध मतपत्रों को प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली प्राथमिकता के अनुसार प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा पार्सल में व्यवस्थित किया जाना है। विनियमन 51 (10) (क) का प्रासंगिक अंश यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

" [.....]

(10) (क) जैसे ही वोट डालने के लिए निर्धारित अवधि समाप्त हो जाती है, महापौर:

(ग) मतपत्रों की जांच करेगा और जिन मतपत्रों को वह वैध मानता है उन मतपत्रों को उन मतपत्रों से अलग करेगा जिन्हें वह अस्वीकार करता है और उन पर "अस्वीकृत" शब्द और ऐसी अस्वीकृति के आधार लिख देगा;

(घ) प्रत्येक उम्मीदवार के लिए दर्ज की गई पहली वरीयता के अनुसार वैध मतपत्रों को पार्सलों में व्यवस्थित करेगा;

[.....] "

95. महापौर/आरओ के अपने नोट से स्पष्ट होने वाले कुछ पहलू यह हैं कि;

- i. उन्होंने नगरपालिका सचिव को फिर से वोटों की गिनती करने का निर्देश दिया, जिन्होंने उनके निर्देशों का पालन नहीं किया, जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि गिनती पहले ही समाप्त हो चुकी थी।
 - ii. महापौर/आरओ ने एक नई गणना तैयार की और नामों के साथ मतों के अंतिम मूल्यांकन की घोषणा करना शुरू कर दिया, जिसका अर्थ यह होगा कि एक बार कोटा निर्धारित हो जाने के बाद, किसी मतपत्र को अस्वीकृत करते हुए इसे बदलने की मांग की गई।
 - iii. महापौर/आरओ द्वारा नई गणना की गई जो इस तथ्य की पुष्टि करता है कि श्री पंकज लूथरा के स्थान पर महापौर/आरओ ने सुश्री. सारिका चौधरी को निर्वाचित उम्मीदवार घोषित करने की मांग की।
 - iv. एक मतपत्र के विरुद्ध आपत्ति का कारण, जिसे अमान्य घोषित किया जाना था, उक्त मतपत्र में 1-2-2 के रूप में अंकन था जो महापौर/आरओ के अनुसार मतपत्र पर अंकन के लिए बुनियादी निर्देशों के विपरीत था।
 - v. मतदान के दौरान और यहां तक कि मतगणना के दौरान भी कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
 - vi. एक मतपत्र पर आपत्ति तभी की गई जब गणना पत्रक तैयार हो गया था, इसलिए मतगणना सुचारू रूप से संपन्न हो गई।
96. नगरपालिका सचिव द्वारा तैयार परिणाम पत्रक और नोट जिसे रिट याचिका के साथ रिकॉर्ड में रखा गया है, वह इस प्रकार है-

" 3889

24.02.2023

स्टाम्प किया गया

विषय- शुक्रवार, 24 फरवरी, 2023 को हुए स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव का परिणाम

मेयर को विचारार्थ सौंपी गई गणना शीट के अनुसार राउंड छह के बाद विभिन्न उम्मीदवारों द्वारा प्राप्त कुल मूल्य इस प्रकार है और चुनाव-संबंधी कोटा 3458 था:-

क्र.सं.	उम्मीदवार का नाम	परिणाम (राउंड 6)	टिप्पणी
1.	सुश्री. मोहिनी	3458	निर्वाचित-3
2.	सुश्री. सारिका चौधरी	3338	सबसे कम
3.	श्री. मोहम्मद आमिल मलिक	3458	निर्वाचित-1
4.	सुश्री. रमिंदर कौर	3458	निर्वाचित-4
5.	श्री. गजेंद्र सिंह दराल	3458	निर्वाचित-5

6.	सुश्री. कमलजीत सेहरावत	3458	निर्वाचित-2
7.	श्री. पंकज लूथरा	3469	निर्वाचित-6

प्रस्तुत किया

हस्ताक्षर :-

रवि प्रकाश
तकनीकी विशेषज्ञ

दिल्ली नगरपालिका निगम

विषय: स्थायी समिति के 6 सदस्यों का चुनाव

1. यह ध्यान देना चाहिए कि दिल्ली नगर निगम की आज स्थगित हुई पहली बैठक में स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए माननीय महापौर के मार्गदर्शन में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई।

2. नगरपालिका सचिव कार्यालय को सदन द्वारा स्थायी समिति के लिए चुने जाने वाले छह सदस्यों के लिए 07 नामांकन प्राप्त हुए थे। सात उम्मीदवार इस प्रकार हैं- (i) सुश्री.मोहिनी (सांसद), (ii) सारिका चौधरी (सांसद), (iii) श्री मोहम्मद आमिल मलिक (सांसद), (iv) सुश्री. रमिंदर कौर (सांसद), (v) श्री. गजेंद्र सिंह दराल (निर्दलीय), (vi) सुश्री कमलजीत सहरावत (भाजपा) और (vii) श्री.पंकज लूथरा (भाजपा)।

3. आज मतदान के बाद, माननीय महापौर द्वारा 10 मिनट का विराम दिया गया, जिसके बाद मतों की गिनती होनी थी। छह (06) सदस्यों के चुनाव के लिए मतदान में अधिमान्य मतदान शामिल था। मतों की गिनती स्वतंत्र तकनीकी विशेषज्ञ अर्थात श्री रवि प्रकाश द्वारा की गई थी। गिनती के दौरान पाया गया कि एक वोट में तीन

उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी गई थी, लेकिन वरीयता '1', '2' और '2' के रूप में थी। अधिमान्य वोटों की गिनती में सहायता करने वाले स्वतंत्र विशेषज्ञ के अनुसार, वोट सही और वैध पाया गया है क्योंकि उसने उम्मीदवार को अपनी पहली वरीयता के संदर्भ में चिह्नित किया है। तथ्य यह है कि यदि किसी उम्मीदवार को पहली वरीयता दी जाती है, उम्मीदवार उस वोट के लिए पहली वरीयता के रूप में गिने जाने के योग्य है और इस वोट को अमान्य घोषित नहीं किया जा सकता है। ऐसा केवल उस स्थिति में होता था जब मतपत्र में प्रथम वरीयता का कोई संकेत न हो और दूसरी वरीयता दोहराई गई हो, तो वोट को अवैध माना जा सकता था।

4. चूंकि तकनीकी विशेषज्ञ, सदस्यों द्वारा कोई भी वोट अमान्य नहीं पाया गया, इसलिए (i) सुश्री मोहिनी (सांसद), (ii) सारिका चौधरी (आप), (iii) श्री मोहम्मद आमिर मलिक (आप), (iv) सुश्री रमिंदर कौर (आप), (v) श्री गजेंद्र सिंह दराल (निर्दलीय), (vi) सुश्री कमलजीत सहरावत (भाजपा) और (vii) श्री पंकज लूथरा (भाजपा) को उनके द्वारा निर्वाचित पाया गया। तकनीकी विशेषज्ञ की रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है।

5. जबकि अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को मतों की फिर से गिनती करने और माननीय महापौर द्वारा एक नया परिणाम पत्रक तैयार करने के लिए कहा गया था, कई पार्षदों ने मंच पर धावा बोल दिया और हाथापाई शुरू हो गई जिससे प्रक्रिया रुक गई और परिणाम घोषित नहीं किया जा सका। इसके अलावा, फिर से गिनती शुरू करने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि गिनती प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी और गिनती प्रक्रिया के दौरान किसी भी हिस्से से किसी भी विरोध की कोई आवाज़ नहीं आई थी।

स्टाम्प किया गया

द.दि.न.नि.

हस्ताक्षर/-
(भगवान सिंह)
नगरपालिका सचिव
24.02.2023

माननीय महापौर

97. नगरपालिका सचिव के बयान के अनुसार, चूंकि पहली वरीयता स्पष्ट रूप से संबंधित उम्मीदवार के लिए चिह्नित की गई थी, इसलिए उक्त मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया जा सकता था और वह यह भी कहते हैं कि फिर से गिनती की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि गिनती प्रक्रिया बिना किसी शोरगुल या विरोध के आयोजित की गई थी।

98. यदि तर्कों के लिए, दोनों संस्करणों, महापौर/आरओ; नगरपालिका सचिव को नजरअंदाज कर दिया जाता है, तो इस न्यायालय को दिनांक 24.02.2023 की बैठक के निर्विवाद कार्यवृत्त को पढ़ने का लाभ मिलता है जिसे सदन द्वारा अनुमोदित किया गया है और नगर सचिव और महापौर/आरओ दोनों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है।

99. दिनांक 24.02.2023 की बैठक का कार्यवृत्त निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है-

"सभा के प्रारम्भ में महापौर ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए आशा व्यक्त की कि सदन के सभी सदस्य सदन की कार्यवाही को शांतिपूर्वक ढंग से चलाने में सहयोग करेंगे तथा महापौर व उपमहापौर के चुनाव में जिस प्रकार सदन के सभी सदस्यों ने सहयोग किया, उसी प्रकार स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में सभी मिलकर सहयोग करेंगे। उन्होंने स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव हेतु चुनाव की प्रक्रिया को नए सिरे से शुरू करने की घोषणा

की तथा किसी भी सदस्य को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अपराह्न 11:00 बजे, महापौर ने निर्वाचन प्रक्रिया प्रारंभ करने के निर्देश दिए और घोषणा की कि सभी सदस्य एक-एक करके मतदान करेंगे चाहे इस प्रक्रिया में कितना भी समय लगे बैलेट बॉक्स खुला रहेगा।

महापौर ने सत्तापक्ष व विपक्ष के नेताओं को निर्देश दिया कि मतगणना पर निगरानी रखने के लिए, प्रत्येक पक्ष की ओर से तीन-तीन निगम पार्षद मनोनीत किए जाएं, इस पर सत्तापक्ष की ओर सर्वश्री मुकेश कुमार गोयल, नेता-सदन, प्रवीण कुमार व प्रेम चौहान तथा विपक्ष से सुश्री शिखा राय, श्री योगेश वर्मा व श्री संदीप कपूर को नियुक्त किया गया। महापौर ने दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया एवं कार्य संचालन) विनियम, 1958 के नियम 51(10) के अनुपालन में, स्थायी समिति के छः सदस्यों के निर्वाचन के लिए डाले गए मतों की गणना करने में उनकी सहायता करने के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को मनोनीत किया गया :-

1. श्री भगवान सिंह, निगम सचिव
2. श्री रवि प्रकाश, अनुभाग अधिकारी
3. श्री प्रवीण कुमार, कनिष्ठ सहायक
4. श्री जितेन्द्र शर्मा
5. सुश्री स्नेह नरूला
6. सुश्री प्रमिला तहलान
7. सुश्री प्रवेश जैन

मतगणना से पूर्व अपराह्न 2-30 बजे महापौर ने सभा को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया तथा सभी सदस्यों को निर्देश दिया गया कि कोई भी सदस्य सदन छोड़कर बाहर नहीं जाएगा। सभी सदस्य अपनी कुर्सी पर ही भोजन ग्रहण करेंगे।

अपराह्न 2-40 बजे मतगणना की प्रक्रिया आरम्भ की गई तथा मत-पेटी को खोला गया और मत-पत्रों की छंटाई की गई तथा निगम सचिव कार्यालय द्वारा रा.रा.क्षेत्र, दिल्ली सरकार से आमंत्रित विशेषज्ञों/पर्यवेक्षकों के पर्यवेक्षण अधीन परिणाम-शीट (तालिका) तैयार

की गई तथा परिणाम घोषित करने हेतु तालिका महापौर को सौंप दी गई ।

अपराहन 4-30 बजे इसी बीच सत्तापक्ष के सदस्य श्री प्रवीण कुमार द्वारा महापौर से अनुरोध किया कि श्री पंकज लूथरा के पक्ष में डाले गए 1 बैलेट पेपर पर प्राथमिकता के लिए 1, 2 तथा 3 के स्थान पर 1, 2, 2 लिखा गया है, अतः इस मत को अवैध घोषित किया जाए और उन्होंने उस मत को महापौर को सौंप दिया। मत-पत्र देखने के पश्चात महापौर ने कहा कि वह इस मत को वैध नहीं मान सकती। उन्होंने आमंत्रित विशेषज्ञों से पूछा कि यह मत वैध है या अवैध, तो उन्होंने कहा कि उनके तथा उनके पास उपलब्ध चुनाव आयोग की दिशा-निर्देशिका के अनुसार यह मत वैध है। उन्होंने दिल्ली सरकार से आमंत्रित विशेषज्ञों/प्रेक्षकों को निर्देश दिया कि इस मत को अवैध मानते हुए दोबारा परिणाम-शीट तैयार की जाए जिसके लिए उन्होंने असहमति व्यक्त की तथा जिसका विपक्ष द्वारा भी विरोध किया गया।

श्री रवि प्रकाश, तकनीकी स्वशेषज्ञ ने महापौर को पुनः बताया कि उपरोक्त मत पत्र सं.1 प्रथम चरण में वैध है परन्तु दूसरे चरण में यदि इस मत के मान को हस्तांतरित किया जाता है तो वह अवैध माना जाएगा। लेकिन महापौर ने उनकी बात न मानते हुए 1 मतपत्र को अवैध घोषित करने तथा दोबारा परिणाम शीट तैयार करने का निर्देश दिया। इस पर निगम सचिव तथा तकनीकी विशेषज्ञ ने महापौर से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक मत के विषय में अपना निर्णय दें कि कौन सा मत वैध है तथा कौन सा मत अवैध है। इस पर महापौर ने सभी मतों के पीछे वैध तथा अवैध लिखकर अपना निर्णय दिया। जिसके अनुसार दो और मतों को अवैध घोषित कर दिया क्योंकि उनमें से एक मत फटा हुआ था तथा दूसरे मत पर ओवर राइटिंग की हुई थी। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा मतों को अवैध करने का आधार जानना चाहा जिनको महापौर ने वैध मान लिया क्योंकि श्री भगवान सिंह , निगम सचिव ने उनकी बात नहीं मानी और उन्हें गुमराह किया।

विपक्षी सदस्यों ने महापौर को चोर व धोखेबाज बताते हुए सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। प्रत्युत्तर में सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भी अपनी

सीटों पर खड़े हो कर नारेबाजी आरम्भ कर दी। महापौर ने सभी सदस्यों से शांति बनाए रखने का अनुरोध किया परन्तु सदस्यों पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उन्होंने निगम सचिव तथा मतगणना के लिए नियुक्त स्टाफ को दोबारा मत पत्रों की छंटाई करके पुनः मतगणना करने का निर्देश दिया। जिसका विपक्ष द्वारा यह कहकर पुरजोर विरोध किया गया कि मतगणना में एजेंटों का होना अनिवार्य होता है इसीलिए बिना एजेंटों के मतगणना का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने बार-बार 1 बैलेट पेपर को अवैध मानकर परिणाम शीट तैयार करने का निर्देश दिया। महापौर मतगणना के लिए नियुक्त स्टाफ को सदन के वेल में बैठकर पुनः मतगणना करने का निर्देश दिया परन्तु मंच के दोनों ओर विपक्षी सदस्यों द्वारा घेराबंदी करने के कारण स्टाफ वेल में नहीं पहुंच पाया। इस पर महापौर ने कहा कि मतगणना मंच पर ही होगी तथा दोनों दलों से एक-एक एजेंट मंच पर आ सकता है परन्तु विपक्षी सदस्य इसके लिए भी सहमत नहीं थे। महापौर ने कहा कि न तो आप परिणाम घोषित होने दे रहे हैं तथा न ही आप पुनर्मतगणना के लिए तैयार हैं इसी बीच महापौर के एक मत को अवैध घोषित करने के निर्णय के विरुद्ध सुश्री कमलजीत सहरावत जो इस चुनाव के लिए प्रत्याशी थी, ने अपना लिखित विरोध संबंधी जापन महापौर महोदया को सौंपा। श्री रवि प्रकाश तकनीकी विशेषज्ञ तथा मतगणना के लिए नियुक्त कर्मचारी/अधिकारी महापौर के आदेशानुसार एक मत को अवैध मानकर परिणाम पत्र तैयार करने लगे तथा पहले से तैयार परिणाम पत्र (तालिका) को महापौर द्वारा अपने पास रखा गया। इसी बीच शोर-शराबे के बीच सुरक्षा के लिए तैनात कर्मचारियों के साथ धक्का-मुक्की करते हुए विपक्ष के सभी सदस्य मंच पर आ गए तथा महापौर से सभी कागजात छीनने की कोशिश करते हुए श्री चंदन कुमार चौधरी, निगम पार्षद वार्ड सं.163 ने महापौर की कुर्सी खींची और सर्वश्री रविन्द्र सिंह नेगी तथा अर्जुन पाल सिंह मारवाह सहित विपक्ष के कुछ अन्य सदस्य महापौर के पीछे भागे जिसके कारण महापौर गिर गई तथा उनसे सभी कागजात छीन लिए। महिला सुरक्षा कर्मियों की सहायता से अपराहन 7.30 बजे महापौर को सदन से बाहर भागना पड़ा। उनके सदन से बाहर जाने के बाद भी दोनों पक्षों के सदस्यों में तीखी नोक-झोंक, मार-पीट व धक्का-मुक्की जारी रही। अपराहन 9-30 बजे महापौर पुनः सदन में उपस्थित हुई तो उन्होंने विपक्ष के व्यवहार की भर्त्सना करते हुए कहा

कि विपक्ष न तो पुनः मतगणना कराना चाहता है तथा न ही परिणाम घोषित करने दे रहा है, इस प्रकार वह न्यायालय की अवहेलना कर रहा है तथा सभी सम्मानित सदस्यों का समय भी बर्बाद कर रहा है। वे विपक्ष के दबाव में एक अवैध मत को वैध नहीं मान सकती, इसीलिए इसके लिए पुनर्मतदान ही एकमात्र विकल्प है। अपराहन 09:35 बजे महापौर ने स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव हेतु सभा सोमवार, दिनांक 27 फ़रवरी, 2023 पूर्वाहन 10:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिए।"

100. बैठक के कार्यवृत्त का अंग्रेजी अनुवाद भी नीचे दिया गया है:

"आरंभ में, महापौर ने सदन में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया और आशा व्यक्त की कि सभी सदस्य सदन की कार्यवाही के शांतिपूर्ण संचालन में अपना सहयोग देंगे। और जिस तरह सभी सदस्यों ने महापौर और उपमहापौर के चुनाव में सहयोग किया, उसी तरह वे स्थायी समिति के चुनाव में भी अपना सहयोग देंगे। स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए नए सिरे से चुनाव शुरू करने की प्रक्रिया घोषित की गई थी और किसी भी सदस्य को मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

अपराहन 11:00 बजे, महापौर ने चुनावी प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश जारी किया और घोषणा की कि सभी सदस्य एक-एक करके मतदान करेंगे और मतदान-पेटी चाहे जितना भी समय लगे, खुली रहेगी।

महापौर ने सत्तारूढ़ दल और विपक्षी दलों के नेताओं को यह भी निर्देश दिया कि मतों की गिनती पर नजर रखने के लिए प्रत्येक पक्ष द्वारा तीन-तीन सदस्यों को नामित किया जाए और इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ दल ने श्री मुकेश कुमार गोयल, सदन के नेता, प्रवीण कुमार और प्रेम चौहान को नामित किया। विपक्षी दल ने सुश्री शिखा राय श्री. योगेश वर्मा और श्री. संदीप कपूर को नामित किया।

दिल्ली नगर निगम (प्रक्रिया और कार्य) विनियम, 1958 के नियम 51 (10) के अनुपालन में, महापौर ने स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया-

1. श्री. भगवान सिंह, सचिव
2. श्री. रवि प्रकाश, शाखा अधिकारी
3. श्री. प्रवीण कुमार, कनिष्ठ सहायक
4. श्री. जितेंद्र शर्मा
5. सुश्री. स्नेह नरूला
6. श्री. मती प्रमीला तहलान
7. सुश्री. प्रवेश जैन

2:30 बजे, मतगणना शुरू होने से पहले मेयर ने सदन को 10 मिनट के लिए स्थगित कर दिया और सभी सदस्यों को सदन से बाहर नहीं जाने और सभी सदस्यों को बैठे रहकर जलपान करने का निर्देश दिया।

दोपहर 2:40 बजे, मतों की गिनती शुरू हुई और मतपेटिका खोली गई और मतपत्रों की जांच की गई। निगम सचिव और दिल्ली सरकार के विशेषज्ञों/पर्यवेक्षकों ने परिणाम-पत्र तैयार किया और परिणाम घोषित करने के लिए मंच महापौर को सौंपा।

दोपहर 4:30 बजे, श्री सतारूढ़ दल के सदस्य प्रवीण कुमार ने महापौर से अनुरोध किया कि एक मतपत्र श्री पंकज लूथरा के पक्ष में प्राथमिक कारणों से '1,2, एवं 3', '1,2,2' के स्थान पर लिखा गया है। इसलिए इस मतपत्र को अवैध घोषित कर उक्त मतपत्र मेयर को सौंप दिया गया।

मतपत्र देखकर, महापौर ने कहा कि इस मतपत्र को वैध नहीं माना जा सकता है। उन्होंने विशेषज्ञों से पूछा कि क्या यह मतपत्र वैध या अमान्य है। जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार यह मतपत्र वैध है। उन्होंने दिल्ली सरकार द्वारा आमंत्रित विशेषज्ञों/पर्यवेक्षकों को निर्देश दिया कि इस मतपत्र को अवैध मानते हुए एक और परिणाम पत्र तैयार किया जाए, जिस पर उन्होंने अपनी असहमति व्यक्त की। जिसका विपक्ष ने भी विरोध किया था।

तकनीकी विशेषज्ञ श्री रवि प्रकाश ने फिर से महापौर को बताया कि उपरोक्त मतपत्र सं.1 पहले दौर में मान्य है। लेकिन यदि यह मतपत्र मान दूसरे दौर में स्थानांतरित हो जाता है, तो इसे अवैध माना जाएगा। लेकिन महापौर ने उनकी बात नहीं मानी और मतपत्र को अवैध घोषित करते हुए नये सिरे से परिणाम पत्र तैयार करने का निर्देश दिया। इस पर तकनीकी विशेषज्ञ और निगम सचिव ने महापौर से अनुरोध किया कि वे प्रत्येक मतपत्र पर स्वयं निर्णय लें और कौन सा मत वैध है या कौन सा वैध नहीं है, इसकी टिप्पणी मतपत्र के पृष्ठ पर दी जा सकती है। निर्णय के अनुसार दो और मतपत्रों को अवैध घोषित कर दिया गया क्योंकि एक मतपत्र फटा हुआ था और दूसरे पर ओवरराइटिंग थी। तकनीकी विशेषज्ञ यह जानने के लिए उत्सुक थे कि महापौर ने किस आधार पर मतपत्रों को अवैध मानने का निर्णय लिया, क्योंकि निगम सचिव श्री भगवान सिंह उनकी शर्तों से सहमत नहीं थे और उन्होंने उन्हें गलत जानकारी दी थी।

विपक्ष की ओर से सदस्यों ने मेयर को चोर और जालसाज बताया और सदन में नारेबाजी करने लगे। इसके जवाब में सत्ता पक्ष के सदस्य भी अपनी सीटों पर खड़े हो गये और जवाबी नारे लगाये। मेयर ने सभी सदस्यों से शांति बनाये रखने का अनुरोध किया। उन्होंने निगम सचिव और चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों को मतपत्रों की बार-बार जांच करने और नए सिरे से गिनती करने के निर्देश दिए। विपक्षी दल ने इसका पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि मतगणना में एजेंटों की उपस्थिति अनिवार्य है। ऐसे में बिना एजेंट के काउंटिंग का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने एक मतपत्र को अवैध मानते हुए दोबारा मतपत्रों की गिनती करने का निर्देश दिया। मतपत्रों की गिनती के लिए मेयर ने कर्मचारियों को अच्छे से बैठकर परिणाम पत्र तैयार करने का निर्देश दिया। लेकिन दोनों ओर से नारेबाजी के कारण कर्मचारी वेल तक नहीं पहुंच सके। इस पर मेयर ने कहा कि मंच पर ही गिनती होनी है। दोनों पक्षों का एक-एक एजेंट मंच पर आ सकता है। लेकिन विपक्षी सदस्य इससे सहमत नहीं दिखे। मेयर ने कहा कि न तो आप परिणाम घोषित होने दे रहे हैं और न ही दोबारा गिनती के लिए तैयार हैं। इस बीच, एक मतपत्र को अवैध घोषित करने के निर्णय का इस चुनाव में उम्मीदवार रही सुश्री कमलजीत सहरावत ने विरोध किया।

उन्होंने लिखित में विरोध किया और मेयर को ज्ञापन सौंपा. तकनीकी विशेषज्ञ श्री रवि प्रकाश और चुनाव के लिए नियुक्त कर्मचारियों/अधिकारियों ने महापौर के निर्णय के अनुसार एक मतपत्र को अवैध मानते हुए परिणाम पत्रक तैयार करना शुरू कर दिया। पहले से तैयार परिणाम पत्र सारणी अपने पास रख ली। इस बीच सदन में हंगामे के दौरान विपक्ष के सदस्य सदन के अंदर तैनात सुरक्षा गार्डों को धक्का देते हुए मंच के पास आ गये और महापौर से परिणाम पत्र छीनने की कोशिश करते हुए वार्ड सं. 163 के पार्षद श्री चंदन कुमार चौधरी ने मेयर की कुर्सी खींच ली और श्री रविंद्र सिंह नेगी और अर्जुन पाल सिंह मारवाह विपक्ष के अन्य सदस्यों के साथ महापौर के पीछे दौड़े जिससे वह गिर गई और उनके सारे कागजात छीन लिए गए। सुरक्षा कर्मचारियों की मदद से शाम 7.30 बजे महापौर को सदन से बाहर निकाला गया। उनके सदन से निकलने के बाद दोनों पक्षों के सदस्यों ने एक-दूसरे से मारपीट किया और बल प्रयोग किया।

रात 9:30 बजे, महापौर फिर से सदन में उपस्थित हुईं, जहां उन्होंने विपक्षी पक्ष के सदस्यों के आचरण की आलोचना की और कहा कि विपक्ष न तो परिणाम घोषित करना चाहता है और न ही परिणाम घोषित करना चाहता है। इस प्रकार यह न्यायालय के निर्देश का भी उल्लंघन है। इससे माननीय सदस्यों का समय भी बर्बाद हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह दबाव में आकर एक अवैध वोट को वैध नहीं मान सकते। इसलिए दोबारा चुनाव ही एकमात्र विकल्प है। रात 9:35 बजे महापौर ने स्थायी समिति के 6 सदस्यों के चुनाव के लिए सदन को सोमवार, 27 फरवरी, 2023 को 10:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया।

निगम सचिव

महापौर "

101. पूर्ववर्ती पैरा में पुनरुत्पादित कार्यवृत्त से संकेत मिलता है कि श्री रवि प्रकाश को विनियम, 1958 के विनियम 51(10) के अनुपालन में,

अन्य अधिकारियों के साथ-साथ महापौर/आरओ द्वारा नामित किया गया था।

102. स्वीकृत कार्यवृत्त में यह भी दर्ज किया गया है कि मतदान समाप्त होने के बाद, मतपेटिका खोली गई और मतपत्रों की जांच की गई। विशेषज्ञों/पर्यवेक्षकों ने परिणाम की घोषणा के लिए परिणाम पत्र तैयार किया था।

103. लगभग शाम 4:30 बजे, श्री प्रवीण कुमार, सदस्य सत्तारूढ़ दल ने महापौर/आरओ से अनुरोध किया कि श्री पंकज लूथरा के पक्ष में डाला गया एक मतपत्र खारिज कर दिया जाए।

104. मतपत्र के अवलोकन के बाद, महापौर/आरओ ने राय व्यक्त की कि उक्त मतपत्र को वैध नहीं माना जा सकता है और विशेषज्ञों से इसे अवैध घोषित करने के लिए कहा। कार्यवृत्त में आगे बताया गया है कि तकनीकी विशेषज्ञ श्री रवि प्रकाश ने महापौर/आरओ को समझाया कि ऐसा नहीं किया जा सकता है, हालांकि, महापौर/आरओ द्वारा स्पष्टीकरण स्वीकार नहीं किया गया और तदनुसार, गड़बड़ी और परिणामी हंगामा हुआ था।

105. आधिकारिक अभिलेख यानी बैठक के कार्यवृत्त, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 74 के अधीन एक सार्वजनिक दस्तावेज है, से निम्नलिखित अपरिहार्य निष्कर्ष निकाला जा सकते हैं-

- i. मतदान बिना किसी बाधा के समाप्त हो गया और जांच भी की गई और किसी भी मतपत्र को अमान्य घोषित नहीं किया गया।
- ii. सभी 242 मतपत्र वैध पाए गए।
- iii. कोटा निर्धारित किया गया और गिनती की गई।
- iv. अंतिम परिणाम पत्र महापौर/आरओ के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, फिर सत्तारूढ़ दल के सदस्य द्वारा एक मतपत्र के संबंध में आपत्ति जताई गई थी।

106. लागू डीएमसी अधिनियम, 1957, विनियम, 1958 और नियम 1956 पर विचार करने के बाद और उन्हें वर्तमान मामले के तथ्यों पर लागू करने के बाद, इस न्यायालय की विचारशील राय है कि यदि मतपत्र की अस्वीकृति की अनुमति दी जाती है, तो गिनती के चरण में, यह चुनाव की पूरी प्रक्रिया को दूषित कर देगा जो कानूनी कदम नहीं हो सकता है। यदि गणना चरण के दौरान किसी भी मतपत्र को अस्वीकार करने की अनुमति दी जाती है, तो किसी दिए गए मामले में, महापौर/आरओ भी एक अमान्य मतपत्र को वैध घोषित कर सकते हैं। इस तरह की व्याख्या मौजूदा नियामक व्यवस्था के अधीन विनाशकारी होगी। एक बार जांच का चरण समाप्त हो जाने के बाद, वैध और अमान्य मतपत्रों को अलग कर दिया जाता है, तो उन मत पत्रों की पुनः जांच को कानून के अधीन स्वीकार्य नहीं माना जा सकता।

107. यदि इस तरह की कार्यवाही की अनुमति दी जाती है, तो चुनाव प्रक्रिया के पहिये कभी नहीं रुकेंगे। यदि ऐसी शक्तियों को महापौर/आरओ के पास मौजूद घोषित किया जाता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो महापौर/आरओ को पहले से जांचे गए मतपत्रों की पुनः जांच करने और गिने गए वोटों की पुनः गिनती करने से रोक सके, और लोगों को पुनः मतदान कराने के बाद फिर से मतदान करने के लिए मजबूर कर सके। ऐसे में चुनाव एक बेलगाम घोड़ा होगा, जिसकी लगाम पूर्ण रूप से महापौर/आरओ के हाथ में होगी।

108. यह चुनाव का एक बुनियादी नियम है कि एक बार चुनाव प्रक्रिया शुरू हो जाने के बाद, अंतिम परिणाम की घोषणा में इसका तार्किक अंत अवश्य होना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए भी यह आवश्यक है कि सभी वैध मतों की गिनती की जाए और लोगों की इच्छा सटीक रूप से प्रतिबिंबित हो। चुनाव प्रक्रिया को समय से पहले रोकने से वोटों की गिनती अधूरी या गलत हो जाएगी, जिससे विवाद, धोखाधड़ी के दावे और चुनाव परिणामों में विश्वास की कमी हो सकती है। मौजूदा मामले में भी ऐसा ही हुआ है। ऐसा दृष्टिकोण अंततः लोकतांत्रिक प्रक्रिया और निर्वाचित अधिकारियों की वैधता को कमजोर कर देगा।

109. प्रत्यर्थी संख्या. 4 महापौर/आरओ की ओर से तर्क दिया गया कि एक सर्वमान्य नियम है कि जहां एक निश्चित तरीके से एक निश्चित

कार्य करने की शक्ति दी गई है, वह कार्य उसी तरीके से किया जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए, उनके पक्ष में इस कारण से लागू होता है कि मतपत्र में दिए गए निर्देश का पालन नहीं किया गया है और दूसरे निर्धारित प्रपत्र में परिणाम की घोषणा भी नहीं की गयी है।

नज़ीर अहमद बनाम राजा सम्राट मामले में निर्धारित सर्वमान्य सिद्धांत के संबंध में कोई विवाद नहीं है। हालांकि, यह प्रत्यर्थी के मामले का समर्थन नहीं करेगा बल्कि याचिकाकर्ता के मामले को और उनके इस तर्क को सही ठहराएगा कि एक बार मत पेटियां खुलने के बाद, समग्र मतपत्रों की गिनती की गई, जांच की गई, वैध और अवैध मतपत्रों को अलग किया गया और कोटा सुनिश्चित किया गया, और गिनती शुरू की गई, जो अपने अंतिम निष्कर्ष पर भी पहुंची, तब मतपत्रों की दोबारा जांच करने का कोई अवसर नहीं था क्योंकि यह नियम के अधीन निर्धारित प्रक्रिया नहीं है।

110. निर्विवाद रूप से, मतदान हुआ है, जांच की गई है और कोटा का पता लगाया गया और यदि पूरी प्रक्रिया परिणाम की घोषणा न करने के साथ समाप्त होती है, तो इसे उन मतदाताओं के प्रति अनादर के रूप में देखा जाएगा जिन्होंने अपना वोट डालने के लिए समय निकाला है और जिन उम्मीदवारों ने चुनाव प्रक्रिया में अपना समय, प्रयास और संसाधन लगाए हैं।

111. लोकतंत्र के हित में, चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता और समानता को बनाए रखा जाना चाहिए। यह देखना महत्वपूर्ण है कि चुनाव प्रक्रिया अपने अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, भले ही परिणाम किसी विशेष पार्टी के पक्ष में न हो ।

112. यदि गणना प्रक्रिया के दौरान वैध पत्र को अस्वीकार कर दिया जाता है, तो यह कई विसंगतियां उत्पन्न कर सकता है, जैसे कि वैध मतों की कुल संख्या को कम करना, जिसके परिणामस्वरूप पूरे निर्धारित कोटे में गड़बड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, तत्काल मामले में 242 वैध दस्तावेजों के आधार पर, पिछले पैरा में चर्चा किए गए सूत्र के साथ कोटा 3458 के रूप में निर्धारित किया गया था। यदि एक वैध पेपर खारिज कर दिया जाता है तो पूरे कोटे पर फिर से काम करना होगा। इसलिए, यह स्पष्ट है कि विनियमन, 1958 और लागू नियम, 1956 के अधीन मतदान की प्रक्रिया और तरीके, जांच, कोटा का पता लगाने और गिनती से संबंधित एक पैटर्न की परिकल्पना की गई है जो चीजों को अलग तरह से करने की अनुमति नहीं देता है।

113. गिनती समाप्त होने के बाद मतदान मतपत्र की अस्वीकृति पूरे चुनाव परिणाम को विकृत कर देगी। यह चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता और पारदर्शिता के बारे में मतदाताओं के मन में संदेह पैदा करेगा, और यह

चुनाव प्रणाली में मतदाता के विश्वास को कम कर सकता है जो बदले में हमारे लोकतांत्रिक ढांचे के मूल पर हमला करता है।

114. नियमों का मूल उद्देश्य यह है कि एक बार जांच के चरण में, मतपत्र को अस्वीकार नहीं किया गया था, उसे परिणाम की अंतिम घोषणा के चरण में अस्वीकार नहीं किया जा सकता है।

115. जैसा कि ऊपर बताया गया है, यदि अन्यथा स्वीकृत मतपत्र को अस्वीकार करने और अमान्य घोषित करने या अन्यथा अस्वीकृत मतपत्र को स्वीकार करने और वैध घोषित करने का निर्णय महापौर/आरओ के हाथ में दिया जाता है तो किसी भी परिणाम को तब तक अंतिम रूप नहीं दिया जाएगा जब तक कि वह महापौर/आरओ की पसंद का न हो और उनके अनुकूल न हो।

116. हमारे संविधान की प्रस्तावना यह घोषणा करती है कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य हैं। लोकतंत्र हमारी संवैधानिक व्यवस्था की मूल विशेषता है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हमारे विधायी निकायों के चुनाव जब मनमाने और अनुचित हस्तक्षेप से मुक्त होते हैं, अनुचित बाधाओं से मुक्त होते हैं, संवैधानिक मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध अधिकारियों और अधिकारियों द्वारा निष्पक्षता के सिद्धांतों के साथ आयोजित किए जाते हैं, तो उससे देश में स्वस्थ लोकतंत्र का विकास सुनिश्चित होगा। लोकतंत्र व्यवस्था में यह अंतर्निहित है कि जिस एजेंसी को विधानसभाओं के लिए

चुनाव कराने का काम सौंपा गया है, उसे पूरी तरह से अछूता रखा जाना चाहिए ताकि वह सत्ता में पार्टी या उस समय की कार्यपालिका के बाहरी दबावों से मुक्त एक स्वतंत्र एजेंसी के रूप में कार्य कर सके।

117. *अनूप बरनवाल बनाम भारत संघ* मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय ने एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय के रूप में भारत के चुनाव आयोग के महत्व पर विचार करते हुए कहा है कि लोकतंत्र तब काम करता है जब नागरिकों को सामयिक चुनावों में अपना वोट डालकर सत्तारूढ़ सरकार के भाग्य का निर्णय करने का मौका दिया जाता है। एक स्वतंत्र और तटस्थ एजेंसी द्वारा स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करके लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों का विश्वास सुनिश्चित किया जाता है। उक्त निर्णय के पैरा संख्या 384 में, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने के लिए चुनाव आयोग के कार्यालय की तटस्थता और स्वतंत्रता को बनाए रखने के महत्व को ध्यान में रखते हुए, जो हमारे संविधान में निहित लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए एक अनिवार्य शर्त है, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की रक्षा करना और इसे कार्यकारी हस्तक्षेप से बचाना अनिवार्य हो जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयोग की नियुक्ति के लिए विभिन्न दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हमारे लोकतंत्र के कार्य की दिशा में चुनाव आयोग द्वारा स्वतंत्र और

निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं। हमारे विधायी निकायों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के महत्व के संबंध में उसमें निर्धारित सिद्धांत वैधानिक निकायों के अन्य चुनावों के मामलों में समान रूप से लागू होते हैं। किसी भी अधिनियम के अधीन किसी भी चुनाव के स्वतंत्र और निष्पक्ष संचालन में कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।

118. इसलिए इस न्यायालय की यह सुविचारित राय है कि चूंकि तत्काल मामले में जांच का चरण समाप्त हो गया था, इसलिए अस्वीकृति गिनती के चरण में हुई थी, इसलिए कानून के अधीन इसकी अनुमति नहीं है।

119. इस न्यायालय के इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बावजूद कि गिनती के चरण में मतपत्रों की पुनः जांच में संलग्न होने की शक्ति महापौर/आरओ के पास निहित नहीं थी और इस प्रकार उन्होंने लागू कानून द्वारा उन्हें प्रदान की गई शक्तियों से अधिक कार्य किया, यह न्यायालय इस बात पर भी विचार करेगा कि गुण-दोष के आधार पर अस्वीकृति और अयोग्यता की घोषणा कानून की दृष्टि से गलत थी या नहीं। न्यायालय की अंतरात्मा संतुष्ट करने के लिए, महापौर/आरओ द्वारा प्रतिपादित विवादित मतपत्र को स्वीकार नहीं करने के कारण जांच करने के लिए कहा गया था। यह न्यायालय दो मोर्चों पर अस्वीकृति का परीक्षण करेगा, पहला इस दृष्टिकोण से कि मतपत्र एक अधिमान्य प्रणाली के अधीन एकल हस्तांतरणीय मत है और इसके परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों के कारण मतपत्र की

अस्वीकृति होती है; और दूसरा, नियम, 1956 के नियम 116 पर, जो तत्काल मामले में अपने पूर्ण बल से लागू होता है, जैसा कि 1958 के विनियमों की योजना से संकेत मिलता है कि एक वैध मतपत्र को केवल तभी अवैध घोषित किया जा सकता है जब वह नियम, 1956 के नियम 116 में उल्लेखित किसी भी श्रेणी में आता हो।

120. सबसे पहले, वर्तमान मामले में अधिमानी व्यवस्था में एकल हस्तांतरणीय वोट होने से संबंधित पहलुओं और वर्तमान विवाद पर इसके परिणामों पर चर्चा की जा रही है। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया था, स्थायी समिति के सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के साथ होना चाहिए। यह निगमन के माध्यम से है कि नियम, 1956 को मतों की गिनती के संबंध में लागू किया गया है। नियम, 1956 का अध्याय VI परिषद निर्वाचन क्षेत्रों में चुनावों में, राज्यों की परिषद में सीटों को भरने के लिए और विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा विधान परिषदों में सीटों को भरने के लिए चुनावों में वोटों की गिनती से संबंधित है। विनियम, 1958 के विनियम 51 के उप विनियम 10 (बी) के माध्यम से केवल नियम 115, नियम 116 के उप-नियम 1, नियम 121 से 127 के प्रावधान और नियम, 1956 के नियम 129 को स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव में मतों की गिनती के संबंध में लागू किया गया है।

121. नियम, 1956 का नियम 115 उस परिभाषा खंड से संबंधित है जो अन्य के साथ साथ 'अनिःशेषित पत्र', 'निःशेषित पत्र', 'मूल मत', 'हस्तांतरित वोट', 'अधिशेष' और 'गिनती' आदि की अभिव्यक्ति को परिभाषित करता है। नियम 115 में उपरोक्त अभिव्यक्तियों को पढ़ने से पता चलता है कि 'अप्रचलित पत्र' का अर्थ एक ऐसा मतपत्र होगा जिस पर एक निरंतर उम्मीदवार के लिए आगे की वरीयता दर्ज की जाती है। 'उम्मीदवार बने रहने' का अर्थ होगा कोई भी उम्मीदवार जो निर्वाचित नहीं है और किसी भी समय चुनाव से बाहर नहीं है।

122. इस प्रकार देखा गया है कि किसी भी मतदाता द्वारा आगे की वरीयता दिए जाने की स्थिति में, किसी ऐसे उम्मीदवार को प्राथमिकता देने के अलावा, जो निरंतर उम्मीदवार है, उसे निरंतर उम्मीदवार के पक्ष में रखा जाएगा और मतपत्र अनिःशेषित पत्र के रूप में ही रहेगा। इसके विपरीत, निःशेषित पत्र का अर्थ ऐसा मतपत्र होगा जिस पर एक निरंतर उम्मीदवार के लिए कोई और वरीयता दर्ज नहीं की जाती है और इसके अलावा, मतपत्र भी समाप्त माना जाएगा यदि (क) दो या दो से अधिक उम्मीदवारों के नाम, चाहे वे निरंतर हों या न हों, एक ही संख्या के साथ चिह्नित किए जाते हैं और वरीयता के क्रम में अगले होते हैं, या (ख) वरीयता क्रम में अगले उम्मीदवार का नाम, चाहे निरंतर रहे या नहीं,

मतपत्र पर किसी अन्य आंकड़े के बाद लगातार नहीं आने वाले अंक या दो या दो से अधिक अंकों द्वारा चिह्नित किया जाता है।

123. इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वरीयताओं के समनुदेशन में सामान्य मतपत्र की गिनती के विपरीत विशिष्ट पेचीदगियां हैं। नियम 115 के अधीन परिभाषाओं की योजना में, अभिव्यक्ति 'गिनती' में दर्ज की गई पहली प्राथमिकताओं की गिनती में शामिल सभी कार्य, उम्मीदवारों या स्थानांतरण में शामिल सभी कार्यों के लिए निर्वाचित उम्मीदवारों का अधिशेष या इसमें शामिल सभी कार्य बहिष्कृत उम्मीदवार के मतों के कुल मान का हस्तांतरण शामिल हैं।।

124. इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक अधिमानी मतदान प्रणाली में एकल हस्तांतरणीय मत द्वारा प्रत्येक मतदाता को एक मतपत्र दिया जाता है जिसमें चुनाव में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को सूचीबद्ध किया जाता है। मतदाता केवल एक उम्मीदवार को वोट देने के बजाय, वरीयता क्रम में उम्मीदवारों की प्राथमिकताओं को चिह्नित करता है, उन्हें 1,2,3 और इसी तरह क्रमांकित करता है और चुने जाने वाले उम्मीदवार को वोटों के एक विशिष्ट कोटा तक पहुंचने की आवश्यकता होती है जैसा कि पूर्ववर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है और यदि उम्मीदवार पहले दौर में कोटा तक पहुँच जाता है तो उसे निर्वाचित घोषित कर दिया जाता है और यदि कोई भी उम्मीदवार पहले दौर में कोटा तक नहीं पहुंचता है, तो पहली

वरीयता के वोटों की सबसे कम संख्या वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उनके वोट प्रत्येक मतपत्र पर इंगित दूसरी वरीयता के अनुसार शेष उम्मीदवारों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। सबसे निचले रैंक वाले उम्मीदवार को हटाकर उनके वोट शेष उम्मीदवारों को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि सभी पद भर नहीं जाते या जब तक उतने ही उम्मीदवार शेष नहीं रह जाते जितने पद भरे जाने हैं।

125. एकल हस्तांतरणीय वोट प्रणाली यह सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया है कि मतदाताओं के पास अधिक विकल्प हों और उनकी प्राथमिकताओं को ध्यान में रखा जाए। यह अन्य मतदान प्रणालियों की तुलना में अधिक आनुपातिक परिणाम भी देता है। हालांकि, इसे गिनना अधिक जटिल हो सकता है और अन्य प्रणालियों की तुलना में परिणाम देने में अधिक समय लग सकता है, लेकिन तत्काल मामले में जो बात महत्वपूर्ण है वह यह है कि उक्त अभ्यास सफलतापूर्वक पूरा किया गया था।

126. एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली में एक मतपत्र को पहली वरीयता के लिए वैध और बाद की प्राथमिकताओं के लिए अमान्य माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकल हस्तांतरणीय वोट मतदाताओं को एक क्रम में अपनी प्राथमिकताएं इंगित करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि उन्हें सभी उम्मीदवारों को रैंक करने या उन्हें एक ही

विकल्प तक सीमित करने की आवश्यकता हो। यदि मतदाता ने स्पष्ट संकेत के साथ अपनी पहली प्राथमिकता दी है, तो उसे उस प्राथमिकता के लिए वैध माना जाना चाहिए। यदि मतदाता कई उम्मीदवारों को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में रखता है या किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए प्राथमिकता इंगित करता है जिसे पहले ही हटा दिया गया है, तो उन प्राथमिकताओं को अमान्य माना जा सकता है।

127. एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली में, एक मतपत्र को पहली वरीयता के लिए वैध और बाद की प्राथमिकताओं के लिए अमान्य माना जा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एकल हस्तांतरणीय वोट मतदाताओं को एक क्रम में अपनी प्राथमिकताएं इंगित करने की अनुमति देता है, बजाय इसके कि उन्हें सभी उम्मीदवारों को रैंक करने या उन्हें एक ही विकल्प तक सीमित करने की आवश्यकता हो। यदि मतदाता ने स्पष्ट संकेत के साथ अपनी पहली प्राथमिकता दी है, तो उसे उस प्राथमिकता के लिए वैध माना जाना चाहिए। यदि मतदाता कई उम्मीदवारों को अपनी पहली प्राथमिकता के रूप में रखता है या किसी ऐसे उम्मीदवार के लिए प्राथमिकता इंगित करता है जिसे पहले ही हटा दिया गया है, तो उन प्राथमिकताओं को अमान्य माना जा सकता है।

128. इस अंतर के दो आयाम हैं। सबसे पहले, मतदाता के दृष्टिकोण से, एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के अधीन वह अपनी वास्तविक विविध

प्राथमिकताओं को व्यक्त करते हुए अपने वोट की बर्बादी के डर के बिना विकल्प चुनने में समर्थ है। इसके विपरीत, पारंपरिक मतदान प्रणाली के अधीन, एक एकल समझौता प्राथमिकता को दर्शाया गया है, जहां अक्सर वोट बर्बाद होने का कारण यानी, मतदाता द्वारा किसी उम्मीदवार को इस धारणा पर वोट न देना कि वे अंततः चुनाव हार जाएगा, माना जाता है।

129. इन दोनों प्रणालियों के बीच अंतर का दूसरा आयाम वह तरीका है जिससे वोट को कानून में माना जा सकता है। पारंपरिक प्रणाली के अधीन, यदि किसी मतदाता द्वारा कोई गलती की जाती है और वह गलती इस हद तक विकृत है कि मतदाता के इरादे को समझना संभव नहीं है, तो वोट स्वयं अमान्य हो जाता है। मतदाता की नीयत एकपक्षीय होने के कारण गलती से मत विच्छेद करने पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता।

130. एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के अधीन स्थिति अलग है। यदि इस प्रणाली के अधीन मतपत्र में कोई गलती है, और गलती अमान्य होने की कसौटी पर खरी उतरती है, तो तथ्यतः पूरा वोट अमान्य नहीं होता है। वरीयता के अंकन में गलती होने और मतदाता के इरादे के बावजूद विशेष वरीयता स्पष्ट न होने के कारण, वोट को पूरी तरह से अमान्य नहीं माना जा सकता है, क्योंकि हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली और इसके लिए मतपत्र, इस गलती को बाकी प्राथमिकताओं से अलग करने की

अनुमति देता है। किसी विशेष प्राथमिकता से संबंधित गलती अन्य चिह्नित प्राथमिकताओं के स्पष्ट इरादे को अस्पष्ट नहीं कर सकती है। गलती का विस्तार और परिधि उस विशिष्ट प्राथमिकता तक ही सीमित रहना चाहिए जिससे वह संबंधित है। हालांकि, पारंपरिक मतदान प्रणाली के अधीन इस तरह के अभ्यास पर विचार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रणाली एकल प्राथमिकता की अभिव्यक्ति की अनुमति देती है।

131. इस प्रकार यह देखा गया है कि एकल हस्तांतरणीय मतदान प्रणाली के अधीन किसी विशेष प्राथमिकता से संबंधित त्रुटि, तथ्यतः इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचती है कि अन्य प्राथमिकताओं सहित संपूर्ण वोट को अमान्य माना जाए।

132. के.एम. श्रद्धा देवी (पूर्वोक्त) मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के पास उत्तर प्रदेश विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों के निर्वाचन क्षेत्र से राज्यों के परिषद (राज्य सभा) के सदस्यों के चुनाव के लिए द्विवार्षिक चुनाव के संबंध में विवाद पर विचार करने का अवसर था। चुनाव संविधान के अनुच्छेद 80 के खंड (4) के अधीन एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार अनिवार्य रूप से आयोजित किया गया था। मतदान बंद होने के बाद आरओ ने वोटों की गिनती शुरू की। 11 मतपत्रों को आरओ ने अवैध मानते हुए खारिज कर दिया। जैसा कि चुनाव संचालन नियम, 1961 के नियम 76 के अधीन अनिवार्य है,

आरओ कोटा सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ा। तदनुसार, कोटा 3147 के आधार पर निकाला गया था। याचिकाकर्ता उन उम्मीदवारों में से एक था जो निर्वाचित नहीं हुआ था और इसलिए, उसने इलाहाबाद उच्च न्यायालय (लखनऊ पीठ) के समक्ष एक चुनाव याचिका दायर की। उन्होंने गलत गणना के आरोप पर जांच और पुनर्गणना की प्रार्थना की और अंतिम रिक्ति के लिए निर्वाचित घोषित करने के लिए निर्देश मांगे। उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने चुनाव याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में असफल रहा कि सभी 11 अस्वीकृत मतपत्र मतगणना एजेंटों को नहीं दिखाए गए थे।

133. अपील किए जाने पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने पैराग्राफ संख्या 11 में लागू नियमों के भाग-VII की योजना पर विचार किया, जहां लगभग समान तकनीकी शर्तों पर विचार किया गया जैसा कि तत्काल मामले में विचार किया गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह माना गया था कि जब मतदान एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होता है, तो मतपत्र की वैधता सुनिश्चित करने के लिए प्रथम वरीयता वोट डालना अनिवार्य है। इसके अलावा, प्रथम वरीयता का वोट इस प्रकार डाला जाना चाहिए कि किसी को भी इसके बारे में संदेह न हो। शेष वरीयताएँ निर्वाचक के पास वैकल्पिक हैं। वह शेष वरीयताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर भी

सकता है और नहीं भी। यदि वह शेष वरीयताओं का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है, तो शेष प्राथमिकताओं का प्रयोग करने में विफलता के कारण मतपत्र को अमान्य नहीं माना जा सकता है।

स्पष्टता के लिए, पैरा सं.12 का उद्धरण निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है: -

"12. विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाव में मतों की गिनती करते समय निर्वाचन अधिकारी को एकल हस्तांतरणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार मतदान के निहितार्थ को ध्यान में रखना होता है। मतदान की इस प्रणाली में जो अनिवार्य है वह यह है कि प्रत्येक मतदाता को अपनी पहली वरीयता के वोट का प्रयोग करना चाहिए। नियम 37-क (1) निर्दिष्ट करता है कि प्रत्येक निर्वाचक के पास केवल एक वोट होता है, चाहे ऐसे चुनाव में भरी जाने वाली सीटों की संख्या कुछ भी हो। बाकी वरीयताएँ हैं। इस तरह के चुनाव में मताधिकार का प्रयोग आदेश के लिए निर्वाचक का कर्तव्य है कि वह अपनी पहली वरीयता को वोट दे। जहाँ पहली वरीयता के मत का प्रयोग नहीं किया जाता है, वहाँ मतपत्र को अमान्य के रूप में अस्वीकार करना होगा जैसा कि नियम 73 (2) (क) द्वारा अनिवार्य है, जिसमें प्रावधान है कि जिस पर अंक 1 चिह्नित नहीं है वह मतपत्र अमान्य होगा। नियम 37-क (2) (क) को नियम 73 (2) (क) के साथ संयुक्त रूप से पढ़ने से यह निर्विवाद रूप से स्पष्ट हो जाता है कि मतदान की इस प्रणाली में, जैसा कि एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र के विपरीत समझा जाता है, जहाँ उम्मीदवार के नाम या प्रतीक के सामने क्रॉस रखा जाता है, पहली वरीयता वाला वोट मतपत्र की वैधता के लिए अनिवार्य है। नियम 73 (2)(क) और (ख) के साथ पठित नियम 37-क (2) (ख) में निहित प्रावधान स्पष्ट रूप से दिखाएगा कि मतदाता को चुनाव में अपनी सभी उपलब्ध वरीयताओं का प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, यदि वर्तमान मामले में 11 रिक्तियाँ हैं, तो मतदाता उन उम्मीदवारों के विरुद्ध 1 से 11 के आंकड़े लगाकर 11वीं संख्या तक अपनी

वरियाताओं का प्रयोग कर सकता है, जिन्हें मतदाता अपनी पसंद के अनुसार पसंद करना चाहता है। लेकिन वरियाताओं का प्रयोग करते समय प्रथम वरीयता वोट देने के लिए मतपत्र को वैध बनाना अनिवार्य है। निर्वाचक के लिए यह वैकल्पिक है कि वह अपनी शेष वरियाताओं का प्रयोग करे या न करे। प्रक्रिया की प्रकृति ऐसी ही होना चाहिए क्योंकि मतदान की यह प्रणाली अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी। यदि वर्तमान मामले की तरह 421 निर्वाचकों में से किसी दल के 220 सदस्य पार्टी के प्रति निष्ठा रखते हैं और प्रत्येक दल इस आरक्षण के साथ 11 मतों का प्रयोग कर सकता है कि एक उम्मीदवार को एक से अधिक मत नहीं दिया जा सकता है और 11 अलग-अलग उम्मीदवारों के विरुद्ध कुल संख्या 11 तक का क्रॉस रखा जा सकता है, तो 201 मत रखने वाला कोई भी व्यक्ति निर्वाचित नहीं हो सकता है। वोटों के इस अखंड राजनीतिक क्षेत्र से बचने के लिए एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व की यह अधिक उन्नत प्रणाली तैयार की गई थी। अभिव्यक्ति "आनुपातिक प्रतिनिधित्व" इस अर्थ में एकतरफा है कि यह दर्शाता है कि विभिन्न हित विशेष रूप से अल्पसंख्यक समूह मताधिकार की इस अधिक उन्नत विधि द्वारा प्रतिनिधित्व को सुरक्षित कर सकते हैं। यह सच है कि जहां एकल-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, यह प्रणाली सहायक नहीं है; लेकिन जहां बहु-सदस्य निर्वाचन क्षेत्र हैं, इस प्रणाली का एक अलग लाभ है और लाभ इस तथ्य से स्पष्ट हो जाता है कि नियम 37-क (2) (क) में प्रावधान है कि एक मतदाता अपना वोट देते समय अपने मतपत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने स्थान में 1 का आंकड़ा रखेगा जिसे वह पहले स्थान पर वोट देना चाहता है। अभिव्यक्ति "करेगा" अनुभाग के आदेश को प्रदर्शित करता है और जब अनुभाग (ख) के साथ तुलना की जाती है जो यह प्रावधान करता है कि एक मतदाता अपना वोट देने में, इसके अलावा, अपने मतपत्र में संख्या 2 या संख्या 2,3,4, आदि रख सकता है जो अनिवार्य और उप-नियम (2) (क) और (2) (ख) में निर्देशिका भाग पर कड़ी निगरानी रखेगा। अनुभाग का अंतर्निहित जोर नियम 73 (2) (क) और (ख) के संदर्भ में और स्पष्ट हो जाता है जो यह प्रावधान करता है कि ऐसा मतपत्र अमान्य होगा जिस पर अंक 1 अंकित नहीं है या अंक 1 एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के विपरीत अंकित किया गया है या इस तरह बनाया गया है कि यह

स्पष्ट नहीं है कि वह किस उम्मीदवार के सन्दर्भ में है। नियम 73 के उप-नियम (क) का अनुभाग (ग) प्रावधान के इरादे को सामने लाता है क्योंकि यह अनिवार्य करता है कि मतपत्र अमान्य होगा जिस पर संख्या 1 और कुछ अन्य आंकड़े उसी उम्मीदवार के नाम के सामने निर्धारित किए गए हैं। इसलिए, यह अनिवार्य है कि जब मतदान एकल हस्तांतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार होता है, तो मतपत्र की वैधता सुनिश्चित करने के लिए पहली वरीयता का वोट डालना अनिवार्य है और पहली वरीयता का वोट इस तरह से डाला जाना चाहिए ताकि किसी को भी इसके बारे में संदेह न हो। शेष वरीयताएँ निर्वाचक के लिए वैकल्पिक हैं। वह शेष वरीयताओं के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। यदि वह शेष वरीयताओं का प्रयोग नहीं करने का विकल्प चुनता है तो शेष प्राथमिकताओं का प्रयोग करने में विफलता के लिए मतपत्र को अमान्य नहीं माना जा सकता है। नियम 73 (2) उन आधारों के विषय में बताता है जिनके आधार पर विधानसभा सदस्यों द्वारा चुनाव में मतदान के समय किसी मतपत्र को अमान्य समझ कर खारिज कर दिया जाए और इसे सटीक और गहराई से पढ़ने पर, यह स्पष्ट नहीं होता है कि शेष वरीयता देने में विफलता मतपत्र को अमान्य कर देगी। इस निष्कर्ष की नियम 37-क (1) में निहित प्रावधान द्वारा पुष्टि की गई है, जिसमें प्रावधान है कि प्रत्येक मतदाता के पास चुनाव में केवल एक वोट है, चाहे कितनी भी सीटें भरी जानी हों। इसलिए, वोट केवल एक है और भले ही एक से अधिक सीटों को भरा जाना हो, बाद की वरीयताओं को मतदाता द्वारा इंगित किया जा सकता है उसके लिए यह वैकल्पिक है कि वह अपने एकमात्र वोट के बाहर वरीयता का प्रयोग न करे, जिसे उसे स्पष्ट रूप से अपनी पहली वरीयता दर्शाते हुए डालना होगा।

134. इसके अलावा पैराग्राफ सं. 13 में एक उदाहरण के साथ बहुत ही प्रासंगिक टिप्पणियाँ की गई हैं जो इस प्रकार हैं: -

"13. आगे क्या होता है? यदि इस तरह के चुनाव में केवल एक वोट है और वरीयताएँ उतनी ही हैं जितनी कि कालानुक्रमिक रूप से इंगित की जाने वाली सीटें हैं और वरीयताओं का प्रयोग करने में विफलता है

पहली वरीयता के बाद मतपत्र अमान्य नहीं होगा, यह एक परिणाम के रूप में होना चाहिए कि यदि मतदाता ने पदानुक्रम में सबसे नीचे अपनी वरियाताओं का प्रयोग करने में कुछ त्रुटि की है तो पूरे मतपत्र को अमान्य नहीं माना जा सकता है। यदि निर्वाचक ने पर्याप्त स्पष्टता के साथ अपनी वरीयताओं का प्रयोग किया है, अर्थात् कालानुक्रमिक क्रम में 1 से 5 तक, परंतु अपनी छठी वरीयता का प्रयोग करते समय उसके पास 11 तक की वरीयताओं का प्रयोग करने का अधिकार है, तो उसने एक त्रुटि की है, उसकी छठी वरीयता का प्रयोग करने में त्रुटि होने पर पूरा मतपत्र अमान्य नहीं होगा और वोटों की गणना करते समय 5 तक की उसकी प्राथमिकता को ध्यान में रखना होगा। हमने विशेष रूप से दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को आमंत्रित किया ताकि इस पहलू की जांच करने में हमारी सहायता कर सकें क्योंकि हम एक खुली मैदान पर चल रहे थे। वास्तव में, हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री चौहान और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता श्री एके सेन को समस्या का अध्ययन करने में सक्षम बनाने के लिए मामले को स्थगित कर दिया और फिर से शुरू हुई सुनवाई में यह न केवल विवादित था, बल्कि स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया कि नियम 73 (2) के साथ पठित नियम 37-क में निहित प्रावधान को ध्यान में रखते हुए एक बार पहली वरीयता के वोट का साफ और स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया है, तो मतपत्र को उस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जा सकता है कि निचले स्तर पर बाद की वरीयताओं का प्रयोग करने में कुछ त्रुटि थी। यदि यह नियम 37-क की सही व्याख्या है, तो इसका पालन करना चाहिए कि न केवल इस तरह के मतपत्र को वैध मतपत्र के रूप में आयोजित किया जाना चाहिए, बल्कि इसकी वैधता वरीयताओं में उस चरण तक जारी रहेगी जहां कोई त्रुटि या भ्रम पैदा होता है जो त्रुटि के स्तर से नीचे बाद की वरियाताओं की गणना की अनुमति नहीं देता है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए, यदि वर्तमान मामले में मतदाता के पास 11 वरीयताओं का प्रयोग करने का विकल्प है और यदि उसने 1 से 5 तक की अपनी प्राथमिकताओं का सही और स्पष्ट रूप से प्रयोग किया है और छठी वरीयता का प्रयोग करने में कोई त्रुटि की है और यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि छठी वरीयता का वोट किसके लिए डाला गया था, तो मतपत्र को पांचवीं वरीयता तक की गणना में वैध माना जाना चाहिए और स्तर से नीचे कि वरीयताओं के

लिए अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए जैसे कि मतदाता ने अपनी आगे की वरीयताओं का प्रयोग नहीं किया है जो उसके लिए वैकल्पिक थी। इस प्रकार मतपत्र आंशिक रूप से वैध हो सकता है। यह एक चोंका देने वाला प्रस्ताव नहीं है, बल्कि मतदान प्रणाली का तार्किक परिणाम है। इसके समर्थन में किसी प्राधिकारी की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यदि किसी प्राधिकारी की आवश्यकता है तो इसे पैरा 636, पृष्ठ 345, हैल्सबरी लॉज ऑफ़ इंग्लैंड के चौथे संस्करण के खंड 15 में कानून के कथन में पाया जाना चाहिए। इसे निकाला जा सकता है:

636. मतपत्रों को आंशिक रूप से खारिज कर दिया गया।- जहां स्थानीय सरकार के चुनाव या किसी ग्राम या समुदाय की बैठक के परिणामस्वरूप होने वाले मतदान में मतदाता एक से अधिक उम्मीदवारों को वोट देने का हकदार होता है या किसी ग्राम या समुदाय की बैठक के परिणामस्वरूप होने वाले मतदान में एक से अधिक प्रश्नों पर मतदान करने का हकदार होता है, किसी भी वोट के संबंध में अनिश्चितता के कारण मतपत्र को शून्य नहीं माना जाना चाहिए, जिसके संबंध में कोई अनिश्चितता उत्पन्न नहीं होती है और उस वोट की गिनती की जानी है।

हमने इस पहलू की गहराई से जांच की है क्योंकि 11 अमान्य मतपत्रों में से जिन्हें हमने पहचान के लिए ज़ेरॉक्स प्रतियों में 'ए' से 'के' तक चिह्नित किया है, 'बी' चिह्नित मतपत्र को निर्वाचन अधिकारी द्वारा नियम 73 (2) (बी) के अधीन इस आधार पर खारिज कर दिया गया है कि अंक 1 दो उम्मीदवारों जे.पी. सिंह और सुरेंद्र मोहन के विरुद्ध आता है। उच्च न्यायालय ने अस्वीकृति को वैध स्वीकार कर लिया है। उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि किए गए निर्वाचन अधिकारी के इस विचार को मानना मुश्किल है क्योंकि उम्मीदवार सुरेंद्र मोहन के विरुद्ध आंकड़ा 1 स्पष्ट रूप से चिह्नित किया गया है और उम्मीदवार जे. पी. सिंह के विरुद्ध आंकड़ा 11 नोट किया गया है। चित्र 11 के दो स्ट्रोक में कुछ अधिलेखन है लेकिन यह याद रखना चाहिए कि नियम 37-ए के साथ संलग्न स्पष्टीकरण यह अनुमति देता है कि वरीयताओं को दर्शाने वाले आंकड़े भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप में या रोमन रूप में या किसी भी

भारतीय भाषा में उपयोग किए गए रूप में चिह्नित किए जा सकते हैं, लेकिन शब्दों में इंगित नहीं किए जाएंगे। वरीयताओं का संकेत देने वाले अन्य सभी आंकड़े हिंदी अंकों में लिखे गए हैं और 11 दो स्ट्रोक द्वारा लिखे गए हैं, जिसमें शीर्ष पर लूप थोड़ा अधिलेखित है, लेकिन जे. पी. सिंह के विरुद्ध 11वीं वरीयता निर्विवाद है और स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। जाहिर है कि 'बी' चिह्नित इस मतपत्र को नियम 73 (2) (बी) में उल्लिखित आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था।

135. उक्त निर्णय के पैरा सं. 16 में, यह माना गया है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव संसदीय लोकतंत्र का स्रोत होने के कारण, आर.ओ. और न्यायालय का प्रयास, मतपत्रों को अस्वीकार करने के आसान तरीके को किसी भी बहाने से अमान्य घोषित करने के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि मतपत्रों को अमान्य घोषित करने से पहले गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए, ताकि यदि संभव हो तो यह पता लगाया जा सके कि क्या मतदाता ने अपने इरादे को प्रकट करते हुए पर्याप्त स्पष्टता के साथ अपना वोट डाला है। पैरा सं. 16 को भी निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"16. स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, संसदीय लोकतंत्र का स्रोत होने के नाते, निर्वाचन अधिकारी और न्यायालय के प्रयास में थोड़े से बहाने के अधीन मतपत्रों को अमान्य मानने का आसान तरीका नहीं अपनाना चाहिए, बल्कि मतपत्रों को अमान्य मानने से पहले गंभीर प्रयास किया जाना चाहिए। यदि संभव हो तो सुनिश्चित करें कि क्या निर्वाचक ने अपने इरादे को स्पष्ट रूप से प्रकट करते हुए अपना वोट डाला है। इस मामले में हम इस बात से संतुष्ट हैं कि निर्वाचन अधिकारी ने सबूतों द्वारा अप्रमाणित का एक आसान रास्ता तैयार किया है और कुल 11 अवैध मतपत्रों में से दो मतपत्रों के संबंध में एक गंभीर त्रुटि बताए जाने के बाद उच्च न्यायालय सभी मतपत्रों की जांच के अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करने में विफल रहा। इसलिए, हमें उच्च

न्यायालय द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण को स्वीकार करना मुश्किल लगता है। तदनुसार, इस अपील की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश को रद्द कर दिया जाता है और मामले को कानून के अनुसार आगे की कार्यवाही के लिए उच्च न्यायालय में भेज दिया जाता है। उच्च न्यायालय सभी अवैध मतपत्रों की जांच करेगा, अस्वीकृति के कारणों का पता लगाएगा, खुद को संतुष्ट करेगा कि कारण वैध है या असंबद्ध, और संपूर्ण या आंशिक रूप से मतपत्र की वैधता तय करेगा और वोटों की दोबारा गणना करेगा। उच्च न्यायालय इस बात को ध्यान में रख सकता है कि मतपत्रों को अमान्य मानने वाले निर्वाचन अधिकारी का निर्णय एक उचित चुनाव याचिका में उच्च न्यायालय की समीक्षा के अधीन है (हैल्सबरी लॉज ऑफ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड 15, पृष्ठ 638 देखें)।”

136. **के. एम. श्रद्धा देवी** (उपरोक्त) के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत कानून वर्तमान मामले के तथ्यों के अधीन पूरी तरह से लागू होगा। यह हमें इस निष्कर्ष पर ले जाएगा कि एक बार पहली वरीयता के संबंध में मतदाता का इरादा स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाने के बाद, उक्त वरीयता को अस्वीकार करने और इसे संबंधित उम्मीदवार के पक्ष में नहीं गिनने का कोई कारण नहीं है।

137. इसके बाद, यह न्यायालय विशेष रूप से नियम, 1956 के नियम 116 के अधीन उल्लिखित आधारों पर अस्वीकृति का जाँच करेगा। यह आवश्यक है कि एक मतपत्र अमान्य होगा जिस पर अंक 1 चिह्नित नहीं है या अंक 1 एक से अधिक उम्मीदवार के नाम के विपरीत सेट किया गया है या इस तरह से रखा गया है ताकि यह संदेह हो कि वह किस उम्मीदवार के लिए आवेदन करने का इरादा रखता है; या अंक 1 और कुछ

अन्य अंक उसी उम्मीदवार के नाम के विपरीत सेट किए गए हैं या कोई भी अंक बनाया गया है जिसके द्वारा बाद में मतदाता की पहचान की जा सकती है या यदि यह एक डाक वैध मतपत्र है, तो मतदाता के हस्ताक्षर विधिवत सत्यापित नहीं हैं।

138. नियम, 1956 के नियम 116 का सावधानीपूर्वक अवलोकन और दो उम्मीदवारों को वरीयता 2 दिए जाने का कारण स्पष्ट रूप से प्रकट करेगा कि इस तरह की आपत्ति नियम, 1956 के नियम 116 के अधीन किसी भी वैध मतपत्र को अमान्य घोषित करने का कारण नहीं हो सकती है।

139. यहां तक कि खंड 11 के अधीन राज्य परिषद और राज्य विधान परिषद के चुनाव के लिए महापौर/आरओ की हस्तक में भी एकल अंतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अधीन वैध मतपत्रों के संबंध में प्रावधान निर्धारित हैं। उक्त निर्देशों के खंड 11 और 12 इस प्रकार हैं:

"11. एकल अंतरणीय वोट के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अधीन, प्रत्येक मतदाता के पास केवल एक वोट होता है जैसा कि "एकल अंतरणीय वोट" अभिव्यक्ति से पता चलता है। हालांकि, मतदाता को विभिन्न उम्मीदवारों के लिए अपनी वरीयताओं को इंगित करना आवश्यक है। एक निर्वाचक को अपना वोट देते समय अपने मतपत्र पर उस उम्मीदवार के नाम के सामने वाले स्थान पर '1' अंक लिखना होता है जिसे वह पहले स्थान पर वोट देना चाहता है। इसके अतिरिक्त, वह अपने मतपत्र पर अपनी पसंद के क्रम में अन्य उम्मीदवारों के नाम के सामने वाले स्थान पर अंक '2' या अंक '2' और '3' या अंक '2', '3' और '4' इत्यादि अंकित कर

सकता है। दूसरे शब्दों में, अंक '1' का अंकन अनिवार्य है तथा अंक '2' '3', '4' आदि का अंकन वैकल्पिक है। इसलिए, मतपत्र तभी मान्य होगा जब निर्वाचक द्वारा अपनी पहली प्राथमिकता दर्शाते हुए अंक '1' को उचित रूप से चिह्नित किया गया हो।

इस प्रकार, यह निर्धारित करने के लिए कि कोई मतपत्र वैध है या अवैध, आपको यह देखना होगा कि क्या निर्वाचक द्वारा मतपत्र पर अंक '1' (ऊर्ध्वाधर स्थिति में) रखकर पहली प्राथमिकता को वैध रूप से दर्शाया गया है। एक मतपत्र जिस पर अंक '1' वैध रूप से अंकित किया गया है, एक वैध मतपत्र है, यदि यह कानून के अधीन किसी अन्य कारण से अमान्य नहीं है।

बैलेट पेपर की अस्वीकृति का आधार

12.1 वह मतपत्र अवैध होगा जिस पर -

- (ए) अंक '1' अंकित नहीं है; या
- (बी) अंक '1' एक से अधिक उम्मीदवारों के नाम के सामने है; या
- (सी) अंक '1' इस प्रकार रखा गया है कि यह समझना मुश्किल हो जाता है कि इसे किस उम्मीदवार पर लागू करना है; या
- (डी) अंक '1' और कुछ अन्य अंक जैसे 2, 3, आदि, एक ही उम्मीदवार के नाम के सामने रखे गए हैं; या
- (ई) कोई चिह्न या लेखन है जिसके द्वारा निर्वाचक की पहचान की जा सकती है; या
- (च) इस प्रयोजन के लिए आपके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री (अर्थात्, बैंगनी रंग की स्याही का स्केच पेन) के अलावा मतपत्र पर कोई अंक अंकित है।

12.2 मतदाताओं द्वारा मतपत्रों पर केवल आपके द्वारा इस उद्देश्य के लिए आपूर्ति की गई सामग्री को ही अंकित किया जाना आवश्यक है। किसी अन्य लेख से चिह्नित मतपत्र खारिज कर दिया जाएगा। हालांकि, यह आवश्यकता स्पष्ट रूप से डाक मतपत्रों के मामले में लागू नहीं हो सकती है। इसलिए, किसी डाक मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए कि उस पर आपके द्वारा अपने मतदान केंद्र पर मतपत्रों के अंकन के लिए आपूर्ति की गई सामग्री के

अलावा कोई अन्य सामग्री द्वारा अंकित है। आपको अपने मतदान केंद्र पर उपयोग किए गए मतपत्र को इस आधार पर अस्वीकार नहीं करना चाहिए कि उस पर अंकन के उद्देश्य से उपलब्ध कराई गई सामग्री के अलावा किसी और सामग्री द्वारा अंकन किया गया है, यदि आप संतुष्ट हैं कि ऐसी त्रुटि मतदान अधिकारी की किसी गलती या भूल के कारण हुई है।

12.3 यदि किसी मतपत्र पर आपके द्वारा आपूर्ति की गई सामग्री के अलावा किसी अन्य सामग्री से अंकन है, तो वह डाक मतपत्र हो सकता है। फिर उसके पीछे की ओर "पोस्टल मत पत्र" की मुहर की जांच की जानी चाहिए। यदि उसके पीछे डाक टिकट नहीं मिलता है, तो उसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए।

140. इससे विवादित मतपत्र स्वीकार न करने का कथित कारण भी सिद्ध नहीं होगा। पार्सल में वैध मतपत्रों की व्यवस्था, वोटों का मूल्य, कोटा का पता लगाना और पहली गिनती में चुने गए कोटा वाले उम्मीदवारों आदि पहलुओं को खंड 22 और 23 के अधीन विस्तार से समझाया गया है। जो इस प्रकार है:-

"कोटा का अभिनिश्चय

22.1 जहां केवल एक रिक्ति स्थान भरा जाना है- जहां केवल एक सीट भरी जानी है, ऐसे चुनाव में किसी उम्मीदवार की वापसी सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा के निर्धारण के लिए (i) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्धारित वैध मतों के कुल मान को 2 (दो) से विभाजित करके, और (ii) शेष, यदि कोई हो, को नजरअंदाज करते हुए भागफल में एक जोड़ना होगा। इस प्रकार, उपर्युक्त उदाहरण में जहां 401 वैध वोट डाले गए हैं, किसी उम्मीदवार की वापसी को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कोटा $401/2 + 1 = 201$ होगा।

22.2 जहाँ एक से अधिक मुहरों को भरा जाना है- जहाँ एक से अधिक सीटें भरी जानी है, ऐसे चुनाव में किसी उम्मीदवार की वापसी

सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कोटा निर्धारण के लिए (i) पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्धारित मतों के कुल मान को किसी ऐसी संख्या से विभाजित करना जो भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या से एक से अधिक है, और (ii) शेष, यदि कोई हो, को नजरअंदाज करते हुए भागफल में एक जोड़ना होगा। इस प्रकार, चुनाव के उपरोक्त उदाहरण में जहां 401 वैध वोट डाले जाते हैं, यह मानते हुए कि 10 उम्मीदवार चुने जाने हैं, किसी उम्मीदवार की वापसी को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त कोटा $40,100/100 + 1 = 3646$ होगा।

पहली गिनती में चुने गए कोटा वाले उम्मीदवार

23.1 यदि किसी उम्मीदवार ने वोट प्राप्त किए हैं, जिसका मूल्य ऊपर निर्धारित किए गए कोटे के बराबर या उससे अधिक है, तो ऐसे उम्मीदवार को पहली गिनती में आपके द्वारा निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

23.2 यदि चुनाव में केवल एक सीट भरी जानी है, तो उपरोक्त अनुसार पहली गिनती में ही किसी उम्मीदवार के निर्वाचित घोषित किए जाने पर वोटों की गिनती समाप्त हो जाएगी।

23.3 ऐसे चुनाव में जहां एक से अधिक सीटें भरी जानी हैं, यदि ऊपर बताए गए तरीके से पहली गिनती में निर्वाचित घोषित किए गए उम्मीदवारों की संख्या भरी जाने वाली सीटों की संख्या के बराबर है तब भी वोटों की गिनती खत्म हो जाएगी और चुनाव पूरा हो जाएगा”.

141. यह तर्क कि चूंकि मतपत्र के निर्देश संख्या 5 का उल्लंघन किया गया है, इसलिए मतपत्र को अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए, यह उस चरण में स्वीकार्य नहीं है जब गिनती समाप्त हो गई थी।

142. हालांकि, नियम, 1956 के नियम 116(1) में वैध कागजात को अमान्य मानने के कारण की परिकल्पना की गई है और इसलिए, निर्देश संख्या 6 के विचलन के परिणामस्वरूप किसी भी वैध कागज को अपने

आप अमान्य घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक कि इसका कारण नियम, 1956 के नियम 116(1) के दायरे में न आता हो।

143. यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि महापौर/आरओ के पास मतगणना के चरण में पुनः जांच का निर्देश देने की शक्तियां न होने के अलावा, अस्वीकृति स्वयं ही कानूनी रूप से गलत थी। यह लागू कानून, विशेष रूप से, नियम, 1956 के नियम 116 के आधार पर नहीं किया गया था, बल्कि इसने मतदाता की इच्छा को कमजोर कर दिया क्योंकि उसने मतदाता की पहली प्राथमिकता को गिनने की अनुमति नहीं दी।

144. अंत में, इस न्यायालय को प्रत्यर्थियों के लिए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्क पर विचार करना चाहिए कि 'पुनः मतदान' किसी भी व्यक्ति के लिए कोई प्रतिकूल स्थिति उत्पन्न नहीं करेगा। यह न्यायालय कई कारणों से इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकता है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण यह है कि विनियम, 1958 या लागू नियम, 1956 में 'पुनः मतदान' या 'पुनः गणना' के लिए कोई प्रावधान नहीं हैं। नियम, 1956 के नियम 128 में पुनः गणना का प्रावधान है लेकिन इसे विनियम, 1956 में नहीं रखा गया है। यहां तक कि विनियम, 1958 के पुनः गणना प्रावधानों में भी एक बार जांच होने के बाद पुनः जांच की परिकल्पना नहीं की गई है। यहां तक कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (एतद् पश्चात् 'आरपी अधिनियम, 1951') के प्रावधानों के अधीन

भी पुनर्मतदान की अनुमति केवल तभी है जब मतदान किसी दंगे या खुली हिंसा से बाधित या अवरोधित हो या यदि किसी चुनाव में किसी प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य पर्याप्त कारण के कारण किसी मतदान केंद्र या ऐसे स्थान पर मतदान करना संभव नहीं हो। 1957 के अधिनियम की धारा 57 की उपधारा 1 यह भी इंगित करती है कि ऐसे मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी (एतद् पश्चात् 'पी.ओ.')

या ऐसे स्थान की अध्यक्षता करने वाला आर.ओ., जो भी मामला हो, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि तक मतदान के स्थगन की घोषणा करेगा और यदि इस तरह पी.ओ. द्वारा मतदान स्थगित किया जाता है, वह तुरंत संबंधित आर.ओ. को सूचित करेगा।

145. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 और 58 के अनुसार मतपेटियों के नष्ट होने आदि के मामले में नए सिरे से मतदान का आदेश तब दिया जा सकता है जब ऐसी अनियमित प्रक्रिया से मतदान खराब होने की संभावना हो। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 57 और 58 को निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत किया गया है-

धारा 57:

"57. आपात्कालीन स्थिति में मतदान को स्थगित करना।

(1) यदि किसी चुनाव में धारा 25 के अधीन या मतदान के लिए धारा 29 की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित स्थान पर किसी मतदान केंद्र की कार्यवाही किसी दंगे या खुली हिंसा से बाधित या अवरोधित होती है, या यदि किसी चुनाव में किसी प्राकृतिक आपदा के कारण किसी मतदान केंद्र या ऐसे स्थान पर मतदान करना संभव

नहीं हैं, या कोई अन्य पर्याप्त कारण है कि ऐसे मतदान केंद्र के लिए पीठासीन अधिकारी या ऐसे स्थान की अध्यक्षता करने वाला निर्वाचन अधिकारी, जैसा भी मामला हो, बाद में अधिसूचित की जाने वाली तिथि तक मतदान के स्थगन की घोषणा करेगा, और जहां मतदान एक पीठासीन अधिकारी द्वारा इस तरह स्थगित किया जाता है, वह तुरंत संबंधित निर्वाचन अधिकारी को सूचित करेगा।

(2) जब भी मतदान को उपधारा (1) के अधीन स्थगित किया जाता है, तो निर्वाचन अधिकारी तुरंत उपयुक्त प्राधिकारी और चुनाव आयोग को परिस्थितियों की रिपोर्ट करेगा और, जितनी जल्दी हो सके, चुनाव आयोग के पूर्व अनुमोदन के साथ उस दिन की नियुक्ति करेगा जिस दिन मतदान फिर से शुरू होगा, और मतदान केंद्र या स्थान तय करेगा जिस पर मतदान किया जाएगा, और जिस समय के दौरान मतदान किया जाएगा और ऐसे चुनाव में डाले गए मतों की गिनती तब तक नहीं करेगा जब तक कि इस प्रकार स्थगित मतदान पूरा नहीं हो जाता।

(3) उपरोक्त प्रत्येक ऐसे मामले में निर्वाचन अधिकारी उप-धारा (2) के अधीन निर्धारित मतदान की तिथि, स्थान और घंटों को चुनाव आयोग द्वारा निर्देशित तरीके से सूचित करेगा।

धारा 58-

"58. मतपेटियों को नष्ट करने आदि के मामले में नए सिरे से मतदान-

(1) यदि किसी भी चुनाव में,

(क) किसी मतदान केंद्र पर या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर उपयोग की जाने वाली कोई भी मतपेटी गैरकानूनी तरीके से पीठासीन अधिकारी या निर्वाचन अधिकारी की हिरासत से बाहर ले ली जाती है, या गलती से या जानबूझकर नष्ट कर दी जाती है या खो जाती है, या क्षतिग्रस्त हो जाती है या उसके साथ इस हद तक छेड़छाड़ की जाती है कि उस मतदान केंद्र या स्थान पर मतदान का परिणाम सुनिश्चित नहीं किया जा सकता; या 2[(एए) किसी भी वोटिंग मशीन में वोटों की रिकॉर्डिंग के दौरान यांत्रिक खराबी आ जाती है; या]

(ख) किसी मतदान केंद्र पर या मतदान के लिए निर्धारित स्थान पर की गई ऐसी कोई त्रुटि या प्रक्रिया में अनियमितता जिससे मतदान खराब होने की संभावना हो, निर्वाचन अधिकारी तुरंत मामले की रिपोर्ट चुनाव आयोग को देगा।

(2) उसके बाद सभी भौतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग दोनों में से एक कदम उठाएगा -

(क) उस मतदान केंद्र या स्थान पर मतदान को अमान्य घोषित कर सकता है, उस मतदान केंद्र पर दोबारा मतदान कराने के लिए दिन निर्धारित कर सकता है और घंटे तय कर सकता है या इस प्रकार निर्धारित किए गए दिन और घंटों को जैसा वह उचित समझे उस तरीके से रख सकता है और सूचित कर सकता है, या

(ख) यदि इस बात से संतुष्ट हैं कि उस मतदान केंद्र या स्थान पर नए मतदान का परिणाम किसी भी तरह से चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं करेगा या 1 [वोटिंग मशीन की यांत्रिक विफलता या] प्रक्रिया में त्रुटि या अनियमितता महत्वपूर्ण नहीं है, निर्वाचन अधिकारी को ऐसे निर्देश जारी किये जाये जो चुनाव के आगे संचालन और समापन के लिए उचित हो।

(3) इस अधिनियम के प्रावधान और इसके अधीन बनाए गए किसी भी नियम या आदेश ऐसे हर नए मतदान पर लागू होंगे जैसे वे मूल मतदान पर लागू होते हैं।"

146. ध्यान देने वाली बात यह है कि बिना किसी गड़बड़ी या आपत्ति के एक बार मतदान संपन्न हो जाता है; तो आर.पी. अधिनियम, 1951 के अधीन भी इसे अवैध घोषित करने और नए सिरे से मतदान कराने का कोई प्रावधान नहीं है।

147. हालांकि, मौजूदा मामले में, जिन तथ्यों पर चर्चा की गई है, वे स्पष्ट रूप से संकेत करते हैं कि यह मतदान न केवल सुचारू रूप से हुआ,

बल्कि इसकी गिनती भी बिना किसी आपत्ति के समाप्त हो गई। यह केवल महापौर/आरओ द्वारा एक मतपत्र को अस्वीकार करने के कारण हुआ क्योंकि वह मतपत्र उनकी पसंद का नहीं था, महापौर/आरओ और सत्ताधारी दल के परामर्शदाता को गिनती के बाद इस पर आपत्ति थी, जिससे कुछ व्यवधान हुआ। इसलिए यह स्पष्ट है कि मतदान या मतगणना के दौरान कोई व्यवधान नहीं हुआ है।

148. मौजूदा मामले में, पुनर्मतदान का निर्णय महापौर/आरओ द्वारा लिया गया है जिसे बहुत कम ही निर्देशित किया जा सकता है और इसे स्वाभाविक रूप से नहीं बनाया जा सकता है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **सुरेश प्रकाश यादव बनाम जय प्रकाश मिश्रा** मामले में पैरा संख्या 5 और 6 में निम्नानुसार निर्णय दिया है-

"5. इन तर्कों से निपटने से पहले, हमें यह याद रखना चाहिए कि इस न्यायालय ने बार-बार क्या कहा है कि मतपत्रों के निरीक्षण और पुनर्गणना के आदेश का रास्ता नहीं अपनाया जा सकता। इसके दो कारण हैं। सबसे पहले, इस तरह का आदेश मतपत्र की गोपनीयता को प्रभावित करता है, जिसे कानून के अधीन थोड़ा भी प्रभावित नहीं किया जा सकता है। दूसरा, नियम मतपत्रों की गणना के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करते हैं। इस प्रक्रिया में गणना में गलतियों और धोखाधड़ी के विरुद्ध इतनी अधिक वैधानिक जांच और प्रभावी सुरक्षा उपाय शामिल हैं कि इसे धोखाधड़ी से लगभग पूरी तरह सुरक्षित कहा जा सकता है। हालांकि कोई कठोर नियम निर्धारित नहीं किया जा सकता है, फिर भी इस न्यायालय के निर्णयों से स्पष्ट होने वाले व्यापक दिशानिर्देशों का संकेत इस प्रकार दिया जा सकता है।

6. न्यायालय द्वारा केवल तभी मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश देना उचित होगा जहां:

(1) चुनाव-याचिका में उन सभी भौतिक तथ्यों का पर्याप्त विवरण शामिल हो जिन पर मतगणना में अनियमितता या अवैधता के आरोप स्थापित किए गए हैं;

(2) प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर ऐसे आरोप प्रथम दृष्टया स्थापित होते हैं, जिससे यह मानने का अच्छा आधार मिलता है कि गिनती में गलती हुई है; और

(3) याचिका पर विचार करने वाला न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि विवाद का फैसला करने और पक्षों के बीच पूर्ण और प्रभावी न्याय करने के लिए ऐसा आदेश देना अनिवार्य रूप से आवश्यक है।”

149. **सत्यनारायण दुधानी बनाम उदय कुमार सिंह और अन्य** मामले में और **उदय चंद** (पूर्वोक्त) के मामले सहित अन्य बाद के निर्णयों में समान सिद्धांतों का पालन किया गया है। हालांकि, वर्तमान तथ्यात्मक आव्यूह में, महापौर/आरओ द्वारा तैयार किए गए नोट के अवलोकन से संकेत मिलता है कि पुनर्मतगणना का निर्देश सत्तारूढ़ दल के सदस्यों में से एक के द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर किया गया था।

150. मौजूदा मामले में तो यह देखा जाता है कि सबसे पहले, कोई वैकल्पिक उपाय नहीं है जिसे याचिकाकर्ता अपना सकते थे, दूसरे, मेयर/आरओ का निर्णय चुनाव को आगे बढ़ाने का नहीं था, बल्कि यह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित, हस्तक्षेपित, बाधित और विलंबित कर रहा है। यदि यह न्यायालय वर्तमान मामले के तथ्यों के अधीन रिट क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने से परहेज करता है, तो यह वैध रूप से आयोजित मतदान, जांच और गिनती को रद्द करने के समान होगा, और मतदाताओं को

पुनर्मतदान में भाग लेने के लिए मजबूर करेगा, जिसका आमतौर पर तब तक सहारा नहीं लिया जा सकता जब तक तथ्य और स्थिति की यही मांग न हो।

151. इस न्यायालय ने पाया है कि जब जांच का चरण बीत चुका था और मतों की गिनती का चरण चल रहा था, तब मतपत्रों की पुनः जांच में शामिल होने की महापौर/आरओ की कार्रवाई महापौर/आरओ की शक्तियों से परे थी। इस प्रकार इस न्यायालय द्वारा की गई कार्रवाइयों को कानून की दृष्टि से गलत पाया जाता है। इस न्यायालय ने पाया है कि जब शक्तियों को महापौर/आरओ के पास निहित माना जाता है और योग्यता के आधार पर मतपत्र को खारिज करने की कार्रवाई पर विचार किया जाता है, तब भी इसे कानून द्वारा अस्वीकार्य पाया जाता है।

152. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि न्यायालय ने 25.02.2023 को तत्काल याचिका पर विचार करते हुए, 27.02.2023 को फिर से चुनाव/फिर से मतदान कराने के लिए दिनांक 24.02.2023 के आक्षेपित नोटिस पर रोक लगाने का निर्देश दिया। दिनांक 25.02.2023 के आदेश की क्रमांक सं. 20 से 23 इस प्रकार है:-

"20. उसी को ध्यान में रखते हुए, आक्षेपित नोटिस सं. डी. 1029/एम. एस./2023 दिनांक 27.02.2023 पर पुनः चुनाव कराने के लिए सुनवाई की तिथि से अगली तिथि तक रोक रहेगी।

21. इस बीच, बिना कोई राय व्यक्त किए, यह स्पष्ट किया जाता है कि नगर निगम सचिव दिल्ली नगर निगम विनियम, 1958(प्रक्रिया

और कार्य संचालन) के विनियमन 51 (12) के संदर्भ में मतपत्रों और मतपेटियों को सुरक्षित रखेंगे। यह भी निर्देश दिया जाता है कि कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग को भी संरक्षित किया जाएगा ।

22. इस स्तर पर, प्रत्यर्थी संख्या 4 के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता का कहना है कि मतपत्रों और मतपेटियों के साथ छेड़-छाड़ की गई है। उक्त तथ्य को अभिलेख पर लाते हुए विद्वान अधिवक्ता को अपना जवाब दाखिल करने दें।

23. 22 मार्च 2023 को रोस्टर पीठ के समक्ष सूचीबद्ध करें।”

153. नगरपालिका सचिव ने भी शपथपत्र दायर किया है जिसमें कहा गया है कि 24.02.2023 को स्थायी समिति के लिए छह सदस्यों के चुनाव के दौरान इस्तेमाल किए गए सभी मतपत्र और कार्यवाही का अभिलेख प्रत्यर्थी की हिरासत में सुरक्षित है। मतगणना समाप्त होने के बाद कथित तौर पर हुई गड़बड़ी का मतपत्र की अस्वीकृति से कोई लेना-देना नहीं है क्योंकि यह कार्य बाद में किया गया है जो परिणाम पत्र के अनुसार परिणाम घोषित नहीं करने के महापौर /आरओ के निर्णय के कारण हुआ है। हालांकि, यदि किसी पक्ष को उपरोक्त पहलू के संबंध में कोई शिकायत है तो वे कानून के अनुसार उचित सहारा लेने के लिए स्वतंत्र हैं।

154. मौजूदा मामले में दिलचस्प बात यह है कि महापौर /आरओ के नोट के अनुसार, वह एक मतपत्र को खारिज करते हुए सुश्री सारिका चौधरी को निर्वाचित उम्मीदवार संख्या 6 घोषित करना चाहती थीं। एकल अंतरणीय मतदान प्रणाली की योजना को समझने के बाद, ऐसा कार्य पूर्ण रूप से अस्वीकार्य है। उम्मीदवारों को निर्धारित कोटा प्राप्त करने के आधार पर

निर्वाचित घोषित किया जाना है। इसलिए न्यायालय की सुविचारित राय है कि महापौर/आरओ का संपूर्ण दृष्टिकोण विनियम, 1958 और नियम, 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। महापौर/आरओ द्वारा लिया गया निर्णय सत्ता के दिखावटी प्रयोग के अलावा और कुछ नहीं है।

155. **हरनेक सिंह** (पूर्वोक्त) मामले में प्रत्यर्थियों की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वारा लिया गया निर्णय इस कारण से उनकी सहायता के लिए नहीं उपयोग होगा कि उक्त निर्णय की पैरा सं. 15 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने नोट किया है वहाँ प्रभावशाली वैकल्पिक उपाय और बहुत कुछ तैयार किया जाना था जो एक विशेष समूह द्वारा किए गए हंगामे के कारण पूरा नहीं किया जा सका।

156. प्रत्यर्थी सं.4 द्वारा **कृष्ण बल्लभ प्रसाद सिंह** (पूर्वोक्त) मामले में आधार बनाया गया निर्णय विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव से संबंधित है और माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस तथ्य पर नोट दिया है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 329 के खंड (ख) द्वारा एक प्रतिबंध लगाया गया था क्योंकि रिट याचिका पर विचार करने के लिए चुनाव याचिका उचित उपाय था। **किरण पाल सिंह त्यागी** (पूर्वोक्त) मामले में निर्णय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के चुनाव में नामांकन पत्र की अस्वीकृति के संबंध में भी था।

157. उपरोक्त विश्लेषण को निम्नलिखित निष्कर्षों के रूप में संक्षेपित किया जा सकता है:

- i. रिट याचिकाओं को संधार्य पाया जाता है;
- ii. जांच के चरण तक पहुंचने और कोटा सफलतापूर्वक सुनिश्चित होने के बाद मतपत्र को अस्वीकार करने और उसे अवैध घोषित करने की महापौर/आरओ की कार्रवाई, कानून की दृष्टि से गलत है।
- iii. महापौर/आर.ओ. द्वारा लिए गए पुनः मतदान का निर्णय अस्वीकार्य है क्योंकि यह मुद्दे से संबंधित किसी भी सामग्री पर आधारित नहीं था।
- iv. महापौर/आर.ओ. का निर्णय लागू कानून द्वारा प्रदत्त शक्तियों से परे था। कार्रवाई बिना किसी शक्ति या अधिकार और बिना अधिकार क्षेत्र के की गई थी।

158. उपरोक्त के मद्देनजर, तत्काल याचिकाएं स्वीकार की जाती हैं। दिनांक 24.02.2023 के आक्षेपित नोटिस को एतद्वारा रद्द किया जाता है। प्रत्यर्थी सं.4-महापौर/आरओ को निर्देश दिया जाता है कि वे विवादित वोट को श्री पंकज लूथरा के पक्ष में वैध मानते हुए तुरंत फॉर्म संख्या 4 में परिणाम घोषित करें ।

159. तदनुसार, लंबित याचिकाओं के साथ-साथ इसका निपटान किया जाता है

